Mr. Deputy-Speaker: We will come to the amendments later on. He might conclude now.

Shri N. R. Muniswamy: On the whole I commend this Bill. I congratulate the Ministry also. They did not spend even a minute longer than was necessary to see that it is pushed through inspite of the several hurdles which have been met with. Moreover. I have seen that other hon. Members are very much anxious to see that these are pushed through. The two Chief Ministers have accepted these. Pandit Bhargava, who had much sympathy with them, unfortunately has not been able to convince us and give reasons for us to accept. I request him to accept this Bill and vote for the passing of this Bill.

Mr. Deputy-Speaker: This discussion would continue on Monday.

14.35 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS COMMITTEE

FIFTY-FIRST REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): Sir, I beg to move:

> "That this House agrees with the Fifty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 19th November, 1959."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Fifty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 19th November, 1959."

Shri D. C. Sharma: I have to submit that the time allotted for my Resolution on administrative reforms is not adequate. It is a very vast subject and a big subject. Almost every hon. Member of the House is interested in that subject. I would therefore request you to increase the time allotted for this Resolution to 4½ hours.

Sardar A. S. Saigal: Previously also on other resolutions we have done like this that if the House has agreed we have extended the time. In the case of his Resolution also on the day he starts his speech we can consider this and extend the time.

Mr. Deputy-Speaker: I hope Shri Sharma would agree to that proposal. The Chair has always got one hour in its hands and if it is desired that further extension is needed, we will see to that.

The question is:

> "That this House agrees with the Fifty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 19th November, 1959."

The motion was adopted.

14.37 hrs.

RESOLUTION RE: SESSION OF LOK SABHA AT HYDERABAD OR BANGALORE—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Resolution moved by Shri Prakash Vir Shastri on the 4th September, 1959, regarding Session of Lok Sabha at Hyderabad or Bangalore.

Out of 2½ hours allotted for the discussion of the Resolution, 1 minute has already been taken and 2 hours and 29 minutes are left for its further discussion today

Shri Prakash Vir Shastri may continue his speech.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I hope I will have one minute to propose my Resolution today.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह प्रस्ताव एक ऐसी स्थिति में उपस्थित करने जा रहा हूं कि जब कि भारत की चारदीवारी पर चारों ओर से लगभग हमारे शत्रु आकर हमारी एकता को चुनौती दे रहे हैं। गत अधिवेशन में जिस समय कि मैं ने अपना यह प्रस्ताव पेश किया था तो उस समय मैं ने थोड़ा सा यह दर्शाने का प्रयत्न किया था कि विभाजन से पूर्व भारतवर्ष की स्थिति आज से भिन्न थी और वह इस तरह कि पहले दिल्ली भारतवर्ष के मध्य में स्थित था लेकिन आज इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि भारतवर्ष का २ बार विभाजन हो जाने से पहले ब्रह्म देश बर्मा को इस देश से पृथक होना पड़ा और उसके पश्चात् कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की आईं कि सन् १९४७ में हमारे दुर्भाग्य से इस देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ और अब उसका परिणाम यह है कि दिल्ली जो पहले भारतवर्ष के मध्य में माना जाता था अब वह भारत के लगभग कटि प्रदेश में स्थित एक नगर है और जब कि उत्तर में हमारा शत्रु आकर हमारी सीमा पर हमारा दरवाजा खट खटा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें कि लोक सभा का एक अधिवेशन साल में दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर में अवश्य हुआ करे इससे कि हमारी सरकार इस बात की आदी हो जाय कि अगर कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हो जायं कि हमें दिल्ली से जो कि एक कटि प्रदेश पर स्थित नगर है, अगर यहां से हमको एक साथ अपने आफिसेज सरकारी कार्यवाही और रिकार्डस इत्यादि सुरक्षित रखने के लिए यहां से अन्यत्र ले जाना पड़े तो पहले से हम उस चीज के लिए उद्यत हो जायें।

14.40 hrs.

[SHRI C. R. PATTABHI RAMAN *in the Chair*].

एक बहुत बड़ी कठिनाई जो कि शासन को इसे स्वीकार करने के रास्ते में पेश आ रही है और जिसके लिए मुझे अनुमान है कि हमारे माननीय मंत्री उसका उत्तर भी देंगे कि आर्थिक कठिनाई इस मामले में बहुत बड़ी बाधा है कि लोक-सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद या बंगलौर में करेंगे तो एक बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाई आकर के खड़ी होगी। ऐसे समय में जब कि हम कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य से निकल रहे हैं और जब कि पैसे का मूल्य हमारे लिए बहुत बढ़ गया है, ऐसे समय में हम इस भार को अपने देश के लिए वहन कर भी सकेंगे या नहीं। इसके उत्तर में मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पैसे का सम्बन्ध है उसकी अपेक्षा भारत की एकता का मूल्य उससे कहीं अधिक है। दक्षिण भारत में जो इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है कि उत्तरी भारत वाले उनकी एक प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं और हमने अगर इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो मुझे भय है कि आगे चल कर यह प्रवृत्ति और भी गम्भीर रूप धारण न कर ले। केन्द्र की राजधानी दिल्ली होने से दक्षिण प्रदेश के देशवासी इस प्रकार अनुभव कर रहे हैं कि हम दक्षिण वालों को उपनगरों की स्थिति में बना कर फेंक दिया गया है और यह प्रवृत्ति अगर बढ़ने दी गई और इसके निराकरण का उपाय नहीं किया गया तो यह खतरनाक रूप धारण कर सकती है और यह हमारी देश की एकता के लिए अहितकर सिद्ध होगा जो कि सर्वथा अवांछनीय ही होगा।

जहां तक आर्थिक योजनाओं का सम्बन्ध है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह सोचना कि हमारे माननीय सदस्यों को हैदराबाद या बंगलौर में सेशन होने से उनको हैदराबाद या बंगलौर बहुत दूर जाना पड़ेगा बहुत ठीक भी नहीं है और मैं इस स्थिति का स्पष्टीकरण और जानकारी इस भाषा में देना चाहता हूं कि बंगाल, बिहार और आसाम से जो हमारे भाई लोकसभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली आते हैं तो कलकत्ते से दिल्ली ८९५ मील इस समय है

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

लेकिन हैदराबाद जाने के लिए वे विजयवाड़ा होते हुए जायेंगे तो कलकत्ते से हैदराबाद केवल ६८७ मील रहेगा जिसका कि अर्थ यह हुआ कि हैदराबाद में सेशन होने से उनको केवल ६२ मील ही अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। इसी तरह से मैं बतलाऊं कि बंगलौर में यदि ल क सभा का अधिवेशन किया जाय तो कलकत्ते से बंगलौर सीधे रास्ते से १२५० मील दूर है और उनको कलकत्ते से दिल्ली आने की अपेक्षा केवल ३५८ मील की यात्रा अधिक करनी पड़ेगी। इसलिए यात्रा पर बहुत अधिक व्यय सदस्यों पर करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अब यह सोचना कि उत्तर प्रदेश के और दूसरे स्थान के लोगों को दूर जाना पड़ेगा तो उसके लिए तो यह है कि उसी प्रकार से केरल, मद्रास और दक्षिण के अन्य स्थान के लोगों को जब वहां दिल्ली आना पड़ता है तो इतनी अधिक दूरी उनको भी करनी पड़ती है। अब जहां तक सरकारी कर्मचारियों को वहां पर ले जाने वाले व्यय का सम्बन्ध है तो मैं ने केन्द्रीय सरकार की रिसर्च और रेफ्रेंस ब्रांच से आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न किया कि अगर लोक-सभा का एक अधिवेशन दिल्ली से बाहर होता है तो दिल्ली से बाहर होने वाले इस अधिवेशन में हमारा कितना व्यय होगा। स्थिति यह है कि अगर बंगलौर या हैदरा ा. में अधिवेशन होता है तो भारत सरकार के जो कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे उनकी संख्या लगभग ७०० से १००० के बीच में होगी जिनका कि जाना वहां पर आवश्यक होग और उसके लिए उनके ऊपर २८ लाख से ४२ लाख के मध्य में खर्च करना पड़ेगा। इसी प्रकार लोक सभा से सम्बन्धित जो कर्मचारी हैं अगर सदन का एक अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में किया जाता है तो उसमें लगभग १५० कर्मचारियों की वहां पर आवश्यकता होगी जिसके क लिए ४ लाख से ६ ला ख रुपये के मध्य में उन पर व्यय करना अपेक्षित होगा। इसी प्रकार संसद् सदस्यों के निवास और अधिवेशन सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था करने पर जो राशि खर्च होगी वह ५० हजार रुपये के लगभग पड़ेगी। दिल्ली से समय समय पर जो सूचनाएं अपेक्षित मंत्रियों को मंगानी होंगी या वहां से जो सूचनाएं भेजनी होंगी और उन पर जो खर्च आयेगा वह ८,००० रुपये के लगभग आयेगा। दूसरे इस बीच में जो आवश्यक यात्राएं करनी पड़ेंगी उन यात्राओं पर जो व्यय होगा वह लगभग १० लाख रुपये के पड़ेगा। इस प्रकार से सब धनराशि अगर मिला ली जाय तो करीब ५१-५२ लाख के लगभग जाकर पहुंचती है और अगर उसको थोड़ा और बढ़ा भी लिया जाय तो मेरी समझ में भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि दिल्ली में जब लोक-सभा का अधिवेशन चलता है और उसको देखने के लिए जो हमारे दर्शक भाई इधर उधर से देखने के लिए आते हैं तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों की संख्या का अनुपात भी सरकार को लेना होगा कि उन में से ९५ प्रतिशत इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि उत्तर भारत से सम्बन्धित होते हैं और ५ प्रतिशत लोग इस प्रकार के होते हैं जो कि दक्षिण भारत के होते हैं जो कि इतनी दूर की यात्रा करके हमारी लोक-सभा के सत्र को देखने आते हैं। लेकिन अगर हम लोक-सभा का अधिवेशन दक्षिण भारत में करते हैं तो मेरा अपना मत यह है कि जिस तरह उत्तर भारत की जनता दक्षिण का लोकतंत्री परम्पराओं और तत्वों से परिचित होती है उसी तरह दक्षिण भारत के लोग भी लोक-सभा की परम्पराओं, व्यवस्थाओं और कार्यों से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जहां तक व्यय का सम्बन्ध है उसको हमको थोड़े रूप में इस तरह भी सोचना पड़ेगा कि दक्षिण भारत से हमारे केन्द्र को जो पैसा मिलता है उसकी मात्रा भी कितनी है।

जहां तक बन्दरगाहों का सम्बन्ध है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर भारत में केवल एक बड़ा बन्दरगाह है और तीन छोटे

बन्दरगाह हैं जब कि दक्षिणी भारत में ६ बड़े बंदरगाह हैं, ३४ छोटे बन्दरगाह हैं और १७ बीच की कोटि के बन्दरगाह हैं। उनसे जो आयात निर्यात के रूप में हमें आय होती है वह दक्षिणी भारत से विशेष रूप से अधिक होती है।

इसके साथ ही इस विषय में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सोचना कि लोक-सभा का साल में एक अधिवेशन दक्षिण में किया जाया करे। इस प्रकार की एक नई परम्परा को जन्म दिया जा रहा है तो उनका ऐसा सोचना सही नहीं होगा क्योंकि अब से पहले भी यह परम्परा चालू थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी हमारी सेन्ट्रल असेम्बली का एक अधिवेशन शिमले के अन्दर हुआ करता था असेम्बली का अधिवेशन वहां होता था तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह था कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी और उस समय के सदस्य होते थे वह जब स्थान परिवर्तन करते थे तो मस्तिष्क के अन्दर एक विशेष प्रकार की ताजगी होती थी। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके लिए दफ्तर की एक विशेष दीवारें व वही घुटा हुआ वातावरण रहता था और वही साल के ३६५ दिन बराबर उनका एक ही स्थान पर एक ढर्रे से काम चलता रहता है और उससे उनके दिमागों के अन्दर एक थकान, बासीपन और ऊबने का सा अनुभव होने लगता था और यह ठीक है कि स्थान परिवर्तन वाली चीज होने से उनके अन्दर ताजगी और एक उत्सुकता भी रहेगी और उसके साथ ही हमारी सरकार के कार्यों में कुछ थोड़ी सी तेजी और कार्यपटुता भी आवेगी।

दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां तक सदन का एक अधिवेशन उधर ले जाने का सम्बन्ध है अभी तक उत्तर भारत के जितने सदस्य हैं क्योंकि दिल्ली में ही लोक-सभा के तीनों अधिवेशन होते हैं तो उससे दक्षिण भारत की जो समस्याएं हैं, दक्षिण भारत की जो परम्पराएं हैं उससे उत्तर भारत के सदस्यगण सर्वथा अछूते और अपरिचित ही रह जाते हैं। दक्षिण की कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जिसमें कि बैठ कर यहां पर विचार होता है तो उत्तर भारत के लोग जिस समय दक्षिण के भाई उन समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं तो उसको बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं लेकिन अगर उन्हीं सारी बातों को अपनी आंखों से देखें और देख कर विचार करें तो मेरा अपना अनुमान है कि उत्तर और दक्षिण दोनों को निकट होने में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ेगी।

इसी प्रकार से भारतवर्ष का जो नाम इस समय अधिक प्रचलित नाम "हिन्दुस्तान" है। हिन्दुस्तान का जो मूल रूप इस समय दिखाई दे सकता है वह दक्षिण भारत में ही दिखाई दे सकता है क्योंकि उत्तर भारत पर जो विदेशियों द्वारा समय समय पर हमले हुए हैं उन हमलों से उत्तर भारत की संस्कृति पर्याप्त लड़खड़ा कर रह गयी है। उत्तर भारत में हमको भारत की मूल संस्कृति के दर्शन नहीं होते लेकिन दक्षिण भारत में हिन्दुस्तान की मूल संस्कृति, वहां की प्राचीन परम्पराओं आदि के दर्शन आज भी हो सकते हैं। दक्षिण भारत के अन्दर आज भी प्राचीन भारत की झांकी देखने को मिल सकती है और वहां के देवालय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दक्षिण भारत में यदि हम अधिवेशन करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दक्षिण भारत की संस्कृति, व परम्पराओं से सुगमता के साथ परिचित हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त अगर लोक-सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होता है तो इससे हमारे पर्यटन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दक्षिण भारत के जो कुटीर उद्योग हैं उनको विशेष रूप से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा अपना

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

आवश्यक है कि इस प्रकार की परम्पराओं का हमको श्रीगणेश करना ही चाहिए और अगर हमने अपनी वर्तमान उपेक्षा की नीति दक्षिण भारत के प्रति जारी रक्खी तो हम दक्षिण भारत की बहुत सी परम्पराओं से अपरिचित और अछूते रह जायेंगे ।

अन्य स्वाधीन देश समय और परिस्थिति के आधार पर अपनी राजधानियों में भी परिवर्तन कर रहे हैं । हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो अभी कल तक हमारा ही एक भाग था और जो सन १९४७ के बाद से हमसे पृथक हुआ है उस पाकिस्तान ने भी देश की स्थिति और दुनिया के वातावरण को देख कर निश्चय किया कि कराची बिल्कुल समुद्र के निकट स्थित है और किसी समय भी वहां इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जिससे केन्द्र की राजधानी को तरह तरह के संकट उत्पन्न हो जायें और यह सोच कर पाकिस्तान के शासकों ने बुद्धिमता का परिचय देते हुए अपने देश की राजधानी कराची से उठा कर रावलपिंडी ले गये । आवश्यक स्थिति में दूसरे स्थानों के लोग समय और वातावरण के आधार पर अपनी राजधानी में परिवर्तन करते रहते हैं । लेकिन यह मेरा प्रश्न तो कोई राजधानी में परिवर्तन का नहीं है वरन यह तो एक बहुत साधारण सा प्रश्न है कि लोक-सभा का एक अधिवेशन साल में दक्षिण में हैदराबाद अथवा बंगलौर में हुआ करे । अब से कुछ समय पहले भी इस सदन के अन्दर इस प्रकार की चर्चाएं आई थीं लेकिन दुर्भाग्य से वे चर्चाएं बड़े रूप में नहीं चल सकीं । अधिवेशन करने के लिए जगह सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां थीं कि जिनके कारण उनके ऊपर गम्भीरता से विचार नहीं हो सका । एक सबसे बड़ी कठिनाई हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक-सभा का सेशन करने में यह थी कि क्या वहां पर उतना बड़ा स्थान है जहां कि लोक-सभा सदस्य बैठ कर विचार विनिमय का अवसर पा सकें । लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं और मेरा अपना विश्वास है कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात से परिचित होंगे कि बंगलौर की असेम्बली का जो भवन है वह इतना बड़ा है कि उसमें बहुत अच्छी तरह से लोक-सभा का अधिवेशन हो सकता है । इसके अतिरिक्त वहां का जलवायु भी बहुत अच्छा है और यों भी बहुत से लोग वहां वर्ष में एक बार जलवायु के परिवर्तन के लिए जाया करते हैं । वहां का समशीतोष्ण जलवायु है इसलिए अगर बंगलौर में लोक-सभा का शीतकालीन अधिवेशन हो तो लोक-सभा के सदस्यों को और लोक-सभा के कर्मचारियों को वहां पर ठंड का भी वहां जितना मुकाबला नहीं करना पड़ेगा । स्थान की भी वहां बड़ी भारी कमी नहीं है यह कहा जा सकता है कि बंगलौर में करनाटक असेम्बली का भी अधिवेशन होता है इसलिए कठिनाई हो सकती है । किन्तु इसका तो करनाटक के शासन से पता लगाया जा सकता है कि वहां की असेम्बली का अधिवेशन कब होगा और जब उनकी असेम्बली का अधिवेशन न होता हो उस समय लोक-सभा का अधिवेशन वहां रखा जा सकता है । यह तो आपस के एक एडजस्टमेंट की बात है जिसमें कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

इससे प्रकट होता है कि जो कठिनाइयां पीछे किसी समय थी वे आज नहीं रही हैं । बंगलौर में बहुत बड़ा भवन लोक-सभा के अधिवेशन के लिए है, और भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है ।

इसी प्रकार हैदराबाद का मामला है । हैदराबाद दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी रियासत थी और हैदराबाद में निवास की कोई कठिनाइयां नहीं है जो कि दिल्ली में हैं ।

दूसरा मेरा अपना अनुमान है कि बहुत से लोग वर्ष में जलवायु के परिवर्तन के लिए

जाते हैं । अब अगर लोक-सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होने लगेगा तो सदस्यों की और लोक-सभा के कर्मचारियों की जलवायु बदलने की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और उनको और किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और जो कि मेरे इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य है, वह यह है कि हमको दक्षिण भारत वालों के मध्य रह कर उनकी भावनाओं से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और यह सबसे बड़ा लाभ है । पिछले समय में हमने दक्षिण भारत वालों की भावनाओं का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया है । आपको मालूम है कि हमारी ससद् के तीन भाग हैं । उसका जो सर्वोच्च भाग है वह हमारे राष्ट्रपति हैं । हमारी ससद् का दूसरा भाग है लोक-सभा और तीसरा भाग है राज्य सभा । हमारे राष्ट्रपति जी ने वर्ष में दस दिन के लिए हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में रहने का निश्चय किया है । यह निश्चय उन्होंने केवल इसी दृष्टि से किया है कि दक्षिण भारत वालों को भी यह मालूम हो कि उनका राष्ट्रपति केवल दिल्ली में ही नहीं रहता बल्कि हमारे बीच में भी रहता है और हमारा भी उससे सम्बन्ध है । यही नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी देश का एक प्रमुख त्योहार भी दक्षिण भारत में ही किसी स्थान पर मनाते हैं । १५ अगस्त का त्योहार राष्ट्रपति जी दक्षिण भारत के ही किसी नगर में मनाते हैं । और राष्ट्रपति हमारी संसद् के महान् अंग हैं । हमारे राष्ट्रपति का स्थान इंगलैंड की महारानी की तरह नहीं है । पीछे एक समय इस प्रकार की चर्चा चली थी कि हमारे राष्ट्रपति जी का भी वही स्थान है जो कि इंगलैंड की महारानी का है । ऐसा नहीं है । इंगलैंड की महारानी तो वंश परम्परा के अनुसार चली आ रही हैं, परन्तु हमारे राष्ट्रपति तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं । जब इस प्रकार चुने हुए राष्ट्रपति जी वर्ष में दस दिन के लिए दक्षिण भारत में रहते हैं और दक्षिण भारत के एक नगर में देश का एक प्रमुख त्योहार मनाते हैं तो मैं नहीं समझता कि क्यों हमें दक्षिण भारत के भाइयों की भावनाओं का अध्ययन करने के लिए अपना अधिवेशन दक्षिण भारत में नहीं करना चाहिए । जब हमारी संसद् का सबसे बड़ा भाग वहां वर्ष में कुछ समय के लिए रहता है तो मैं नहीं समझता कि हम इस बात को क्यों सोचें कि दक्षिण भारत में लोक-सभा का एक छोटा सा अधिवेशन करने में कठिनाई है । मैं समझता हूं कि वहां कोई कठिनाई नहीं होगी । जहां तक भवनों का सम्बन्ध है वहां कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है । और यदि कुछ भवन बनाने भी पड़ें तो सरकार बनवा सकती है । आजकल तो सरकार निर्माण कार्य पर बहुत उदारता के साथ खर्च कर रही है । यदि आवश्यक समझा जाए तो कुछ भवन वहां बनाए जा सकते हैं । थोड़े व्यय से यह किया जा सकता है । इस कारण तो कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिए । आप देखें कि पंजाब में पटियाला में बहुत से भवन होते हुए भी चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया और विदेशियों को ले जाकर उसे दिखाया जाता है । तो जहां तक कुछ भवन बनाने का सम्बन्ध है यह काम सरकार कर सकती है, और इस कारण कठिनाई नहीं आने वाली । जो भवन वहां बनेंगे वह लोक-सभा के अधिवेशन में काम आवेंगे और इसके अतिरिक्त भी उनका उपयोग होता रहेगा ।

इन सब बातों के आधार पर मैं समझता हूं कि लोक-सभा का एक अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में करने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे । मैं मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करता हूं कि वे भी थोड़ी उदारता से इस पर विचार करें। सदन के अधिकांश सदस्यों की यह इच्छा है

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

कि लोक-सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हो। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

Mr. Chairman: Resolution moved:

"This House is of opinion that one Session of Lok Sabha be held in South India at Hyderabad or Bangalore every year."

There is an amendment to this resolution, in the name of Shri Vajpayee. But the hon. Member is absent. If he was going to move it, I was going to rule it out of order. But since he is absent, nothing further remains for me to do about it.

श्री पद्म देव (चम्बा): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव इस समय इस सदन में उपस्थित किया गया है, एक बहुत अच्छे बुद्धिमान् व्यक्ति की तरफ से, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इसमें शक नहीं कि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं हमारे पास अधिकारों की भरमार है। बहुत बड़े बड़े अधिकार हमारे हैं और उनके लिए प्रस्ताव रूप में या जिस ढंग से भी हो सकता है हम हर वक्त मांग करते हैं। पर ऐसा कभी दुर्भाग्य से ही समय आता है जब कि हम उन प्रस्तावों की पूर्ति के लिए आय का भी कोई प्रस्ताव उपस्थित करते हों।

यहां पर यह कहा गया है कि वर्तमान संकट के समय में यह बहुत जरूरी है कि लोक-सभा का या राज्य सभा का एक अधिवेशन दक्षिण में हो और उसका यह परिणाम होगा कि हम लोग एक हो जायेंगे, परिचित हो जायेंगे और दक्षिण वाले भी महसूस करेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा है। अगर तो प्रस्ताव यह होता कि राजधानी दिल्ली के बजाए किसी एक मध्य स्थान में होनी चाहिए जो आने जाने की दृष्टि से सब के लिए सुगम हो तब तो उस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि लोक-सभा का एक अधिवेशन साल म हैदराबाद में हो तो दूसरा प्रस्ताव यह भी आ सकता है कि एक दफा कलकत्ता में भी हो, और जैसा पहले वक्ता महोदय ने कहा, यह प्रस्ताव भी आ सकता है कि शिमला में भी हो। तो लोक-सभा के जो तीन अधिवेशन होते हैं उनके लिए शायद नागपुर, की बात आ जाए, बम्बई की आ जाए, तो इस प्रकार के कई प्रस्ताव हमारे सम्मुख आ सकते हैं और हम को उन पर विचार करना होगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, वह तो बैठे हुए भी दौड़ने के लिए। लेकिन हिन्दुस्तान में तो ऐसा कोई मौका नहीं है। मुझे दुःख है इस बात का कि प्रस्तावक महोदय ने यह कहा है कि वर्तमान संकट में ऐसा हो सकता है कि हमें कहीं परिवर्तन करना पड़े इसलिए परिवर्तन की आदत डाल लें। यह बहुत ही दुखदायी बात यहां पर कही गई है। अगर हमारे अन्दर यह ख्याल पैदा हो जाये कि शायद कभी हम को दौड़ने का मौका पड़ जाये, इस लिए अभी दौड़ना सीखें, तो यह उचित नहीं है और मुझे खेद है कि यहां पर यह बात कही गई।

एक बात यह कही गई कि इस में बहुत मामूली खर्चा होगा—कोई बीस, तीस, चालीस लाख रुपया खर्च होगा।

एक माननीय सदस्य: साठ लाख।

श्री पद्म देव: मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया है। जिस वक्त राज्य सभा और लोक-सभा के सात सौ मेम्बर यहां से वहां जाते हैं, तो लाज़िमी तौर पर सात सौ बंगलों का भी प्रबन्ध होना चाहिए। उन पर कितना रुपया

बैई होगा? वर्तमान समय में सरकार बंगलों के ही बनाने में लगी रहे, यह एक विचारणीय विषय है। इस वक्त हमारे मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर आदि कोई तीस चालीस के करीब हैं।

एक माननीय सदस्य पचास।

श्री पद्म देव: उन के सारे दफ्तर भी वहा जाने चाहिए, क्योंकि हर वक्त यहा से टेलीफोन कर के फाइल मगवाना सम्भव नहीं होगा। फाइनें मगवाने में कितना खर्च आयगा, शायद इस का प्रस्तावक महोदय ने विचार नही किया है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन और क्वेस्चन मगवाने आदि पर दस हजार रुपए का खर्च होगा। मेरा ख्याल है कि वह इस बात का अन्दाजा नही लगा सकत कि इस पर कितना खर्च होगा। हिमाचल प्रदेश मे क्वेस्चन पर एक हजार और कभी उस से भी ज्यादा रुपया खर्च आता है। और यहा पर तो सारे हिन्दुस्तान से प्रश्नो के मगवाने का सवाल है। इस का अन्दाजा नही लगाया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस, जनसघ या सोशलिस्ट पार्टी के सेशनो का सवाल है, उस में इतना बडा फ़र्क नही पडेगा। यदि लोक-सभा के अधिवेशन के सम्बन्ध मे यह सोचें कि वह साल में एक दफा हो और उस वक्त यह अनुमान लगाये कि उस पर सात, दस, बीस लाख रुपया खर्च होगा, तो मै समझता हू कि प्रस्तावक महोदय ने इस विषय में अच्छी तरह से अनुमान नही किया है।

यह भी कहा गया है कि दक्षिण और हमारा आपस मे परिचय होगा। जहा तक इस माननीय सदन के सदस्यो का सवाल है, उस को रेलवे का टिकट मिला हुआ है और जब एक सदस्य को भारतवर्ष का नागरिक चुन कर यहा भेजता है, तो वह आशा करता है कि हिमाचल प्रदेश का आदमी लाजिमी तौर पर सारे हिन्दुस्तान का चक्कर लगाए, वहा की रीति-नीति का अध्ययन करे और वहा की परिस्थितियो को मालम करे। सदस्यों को टिकट इसी लिए मिला हुआ है कि वे पाच साल की अवधि मे सारे भारतवर्ष की गति-विधि को देख-छ. महीने वे यहा पर काम करे और बाकी छ महीने व बाहर रहे—ताकि सारे हिन्दुस्तान के उन का अच्छी तरह से परिचय हो। हा, इतना फायदा जरूर हो सकता है कि बगलौर मे आयेंगे, तो बगलौर को अच्छी तरह से देख सकेंगे और सरकारी खर्च पर देख सकेंगे और कुछ लोग भी हम को देखेंगे। यह सब सिर्फ दर्शन-मेला ही रहेगा, दक्षिण के लोगो को इस से कोई फायदा होगा, मैं ऐसा नही समझता हू।

15 hours.

यदि कोई ऐसा प्रस्ताव होता कि दिल्ली के बजाये कोई और जगह राजधानी हो, तो इस पर विचार किया जा सकता था। मुगलो ने सोचा कि हमारी सेफ्टी हैदराबाद मे होगी और निजाम अपने को मुगलो की आखिरी निशानी समझते थे। अगर ऐसी निशानी का ख्याल हो, तो अलग बात है, लेकिन हमारे दिल में ऐसा कोई ख्याल नही है। अगर इस से दक्षिण को फायदा पहुचता, तो मैं कहता कि ऐसा करना चाहिए और उन को लाजिमी तौर पर फायदा पहुचाना चाहिए, लेकिन यह वहा पर अधिवेशन करने से नही हो सकता है। मैं कहता हू कि उस के लिए जरूरी है कि राजधानी को बदला जाये।

यहा पर इस बारे में राष्ट्रपति का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने कुछ दिन वहा रहने का निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति और सारे मिनिस्टरो को यह निश्चय करना चाहिए कि साल में दो, तीन, चार मर्तबा दक्षिण और उत्तर दोनो का दौरा करे और लोगो में अपनी रीति-नीति का प्रचार और प्रसार करे और उन्हें बताये कि हमारा देश क्या कर रहा है, किस चीज की कमी है, लोगो के लिए क्या करना चाहिए और यह मालूम करे कि लोगो के विभिन्न समस्याओं के बारे में क्या विचार है।

[श्री पद्म देव]

इस के लिए सब को सारे देश में घूमना चाहिए । लेकिन केवल लोक-सभा का अधिवेशन दक्षिण में करने से इस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं । अभी माननीय पंडित जी ने जो बातें कही हैं, उन में सुहावने और लुभावने शब्द जरूर हैं, लेकिन जो कारण मैं अभी बतायें हैं, उन के आधार पर मैं उन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

अंग्रेजी राज्य में जब सरकारी कार्यालय शिमला जाते थे और केन्द्रीय विधान सभा का सेशन वहां होता था, तो सारे हिन्दुस्तान में हर प्लेटफ़ार्म से बड़ा शोर मचाया जाता था कि हमारा रुपया बर्बाद किया जा रहा है सैर-सपाटे में । अगर वही प्रस्ताव ले कर हम आ गये, तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे दिमाग़ में अभी अंग्रेजी राज्य के समय का कुछ अंश मौजूद है, जो कि उसी ढंग से सोचता है । हम को कभी भी उस ढंग से नहीं सोचना चाहिए ।

जहां तक सेहत का सवाल है और अगर दक्षिण की जलवायु सेहत के लिए अच्छी है, तो माननीय सदस्यों को टिकट मिले हुए हैं, जो लोग जलवायु के परिवर्तन के लिए वहां जाना चाहें, वे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार मुल्क पर ऐसा टैक्स लगाना और खर्च करवाना ज्यादा तर्कसंगत नहीं दीखता है, ज्यादा बुद्धिमानी की बात नजर नहीं आती है । इसलिए, सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । कल अंग्रेज जो कुछ किया करते थे, आज उसी को हम यहां पर पेश कर रहे हैं । माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा कि उस समय केन्द्रीय विधान सभा शिमला में जाती थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जाती थी, तो सारे देश ने उस का विरोध किया था । मैं समझता हूं कि आज भी ऐसा प्रस्ताव देश के अनुकूल नहीं है और इस से न तो राजनैतिक तौर पर और न सांस्कृतिक तौर पर कोई लाभदायक परिवर्तन हो सकता है ।

अभी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि दक्षिण में हिन्दुत्व रह गया है और यहां नहीं रह गया है । क्या उन का मतलब यह है कि यहां से वह बिल्कुल ही खत्म हो जाय ? अभी तो दक्षिण के लोग यहां आते हैं और यहां के लोगों को संस्कृति का कुछ रस पिलाते हैं । अगर हम उधर जाना शुरू कर दें तो—उन के विचार के मुताबिक, मैं ऐसा नहीं कहता—इधर के लोगों को अभी जो कुछ भी मिलता है, उस से भी वे वंचित रह जायेंगे ।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूं ।

Shri Nagi Reddy (Anantapur): This is a very peculiar Resolution in the sense that it is sometimes neither difficult to oppose nor difficult to accept. There are various reasons for it.

Shri C. K. Bhattacharya (West Dinajpur): Neither accept nor reject!

Shri Nagi Reddy: For various historical reasons, it has so happened that our capital has been in the North. If it had been somewhere in the Centre, it would certainly have been better. There is no doubt about it. But sometimes there are certain things forced upon us, and the location of the capital of India is one such. Therefore, we have to put up with that already existing fact, whether for good or bad.

The suggestion is to have one of the sessions of the Lok Sabha and Rajya Sabha in the South as it would help in creating greater unity between the two parts of the country. This is a thing which should be taken a bit seriously and we must think of the *pros and cons*. There is, no doubt, a kind of feeling in the South that the affairs of the country are being managed much more by the people of the North, sometimes to the detriment of the South.

Shri Ansar Harvani (Fatehpur): Question.

Shri Nagi Reddy: There is a feeling like that. I am only saying that there is a feeling like that. Not that I am saying it.

An Hon. Member: It is a fact also.

Shri Nagi Reddy: I will come to the facts. A kind of integration becomes almost a necessity for the proper cohesion of the country as a whole.

Shri C. K. Bhattacharya: It is a representative of the North who has asked for a session of Parliament in the South.

Shri Nagi Reddy: I know. If he had asked for the establishment of a few of the heavy industries in the South, one would give up the idea of having a session of the Lok Sabha in the South. Therefore, I was coming to the point that people in the South do have a feeling—there is no doubt about it—and it has been expressed often enough in this House that the affairs of the country are so moulded—whether a session of the Lok Sabha is held in the South or not, is not the point—by certain groups of people who do not feel the geographical unity of the South with the North. That feeling has been there. I am afraid that there is also truth to a certain extent in that.

Therefore, if you want to have real integration of mind, of all parts of the country, and unity of the country as a whole, it is much more essential to go a little bit deeper into the whole affair. Let me give a single example. This has happened a number of times. If it is a question of a huge irrigation or hydro-electric project being constructed with the help of the Centre, it naturally becomes a national project. So the money should be spent from the Centre. But even if it is as big or much bigger than that—take, for example, the Nagarjunasagar project—then automatically the question comes that it is to be in two stages, the first stage is smaller than the second stage, we have not accepted the second stage; so the project is much smaller than Bhakra or something else. Therefore, the Centre could not spend anything on it; the State should provide the funds for it! If you think in terms of development of the nation, I can tell you how the people of the South are feeling; they are feeling that they are being let down, even though they have chances of development. I will give you another example. You will find huge deposits of iron ore in the south. There is a feeling in the South and let me express it openly. How is it that not a single steel project could be set up in the South? Why was no investigation made whether it was possible or not?

An Hon. Member: There is none even in the North.

Shri Nagi Reddy: We will come to that. Again, without coal or steel, certain huge industrial projects are possible to be set up anywhere. The Hindustan Machine-building Factory or the Electrical Factory and other new factories are coming up. But we do not hear their being established anywhere there.

Shri C. K. Bhattacharya: May I ask whether we are discussing the industrial development of India?

Shri Nagi Reddy: I am discussing the holding of a Lok Sabha Session in relation to the development of the South.

Mr. Chairman: I was listening to the hon. Member and I take it that he is opposing the holding of the Lok Sabha session at Bangalore.

Shri C. K. Bhattacharya: What have the steel projects to do with Lok Sabha session?

Mr. Chairman: I understood him to say that there was a sentimental feeling in the South.

Shri Nagi Reddy: The point is this. The proposer of the Resolution has said that there are certain doubts in the South and they can be cleared by holding a session there. I wanted to tell him that these doubts have arisen not because the Lok Sabha session was not held there but on more fundamental grounds. Let the Members go a little deeper to understand the doubts.

Shri C. K. Bhattacharya: We are prepared even to dive.

Shri Nagi Reddy: You may do diving but yet not give a project. We are thinking of integration of the South and the North. The question is asked whether the money is available, whether the arrangements can be made, etc. There are innumerable difficulties. I have myself had an experience in Andhra Pradesh when we wanted to have one of the sessions of Andhra Assembly at Waltair. Our capital was Kurnool. Let us know also the difficulties before we take a decision. In the Waltair session, we discussed one of the most important pieces of business—the Tirupati Venkateswara University Bill. We wanted certain reference books and we could not get them. Anyway, because we were interested in pushing through the Bill—both the Opposition and the Government were in favour of the Bill—we pushed it through. Of course money is not the only consideration. When it is a question of integration of the people's minds, it is no consideration. Simply because we have spent crores on Chandigarh or a huge Assembly building at Bangalore—it is a white elephant and ought not to have been built—we should not think in terms of unnecessary expenditure at a time when we are taking up certain development projects. We should reduce our expenditure, if necessary, making some sacrifices. If you are prepared to spend some money on a Lok Sabha Session in Bangalore I would ask the Government to calculate the expenditure and donate it to the State Governments so that they will have certain developmental projects. Can the sentiments of the people be changed by one single session of the Lok Sabha in the South? They cannot be. All the same, I would request the Government to note the doubts and the tendencies growing in the minds of the people in the South. Steps should be taken to clear these doubts and I can give any number of examples. Even though the Government may not hear the complaints inside the Lok Sabha, they should be knowing as to what quite a number of people are thinking about the set-up of the Cabinet, Ministry, etc. All these things come into the picture when you want to know why this sentiment has been growing. I hope the Government will take the necessary steps to see that this feeling is not allowed to grow.

Shri Ansar Harvani: Sir, it is a great misfortune of our country that after 12 years of freedom we still talk in terms of North and South. India is one and indivisible and the people from Kashmir to Kohima and Himalayas to Cape Comorin are one and the same. We are Indians first and Indians second and Indians last. Therefore, it is a misfortune of our country that we still talk in terms of North and South and East and West. I would not go into the details of what my hon. friend on this side of the House has said about the various development programmes in the South. But I want to remind him that when the Government of India decided to have certain State undertakings, the first preference was given to Bangalore where the factories for telephones, machine tools, aircraft, etc. were built. When our planners plan, they think neither in terms of north nor south but in terms of the suitability of the place. Sometimes the North, sometimes the South or the East or the West suffers.

The session of the Lok Sabha is a business affair. It is not a ceremonial affair like the annual session of the various political parties. I know that whenever we hold Congress ses-

sions at certain places, what difficulties are involved and what inconveniences it entails on the local population. We have to spend huge sums of money for erecting *pandals* and to give accommodation to the delegates. Lok Sabha session takes 5—6 weeks and sometimes more. It will entail great expenditure and many difficulties to accommodate the Members of Parliament in far off and new places. My hon. friend had pointed out the experience of holding a session of Andhra Assembly at Waltair. I quite appreciate those difficulties. Every day we have to go to the Library to consult books. We have got to be in touch with the various Ministries to get various information. Every day our Ministers have got to be briefed by the officers of the Secretariat before they come here. Having a Lok Sabha session in Bangalore will not only mean having a session but the transfer of the capital from here for a temporary period. Have you ever heard any other country transferring its capital from time to time? In countries having parliamentary institutions, Parliament session is held in the capital. Delhi is the capital for India and to say that Delhi is a city of the North is preposterous. It is fastly developing into a Cosmopolitan city in which the Punjab's, Bengali's, Madrasis, Andhras, Malayalees and other people are rubbing their shoulders.

15.26 hrs.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

It is fastly developing into a real capital, into a real hope of Indian life, Indian culture, Indian philosophy, which is one and the same whether in the north or in the south. Therefore, I appeal to my hon. friend to withdraw this resolution not only on financial grounds, not only on administrative grounds but also on cultural, linguistic and national grounds.

Shri C. K. Bhattacharya: Mr. Chairman, Sir, this resolution might be looked upon in a simpler way instead of going into all these deeper things and diving into deeper depths. One thing has to be admitted in favour of this resolution, that the Constitution nowhere declares the place where the Lok Sabha session is to be held. It is left to the discretion of the President. In fact, the place of Lok Sabha is fixed by the President in every summons that he issues to us. In that way it might be said that there is some discretion or there is discretion with the President to call a session of the Lok Sabha anywhere in India he likes, whether it be Bangalore, Calcutta, Bombay or Ujjain or any other place.

An Hon. Member: Ujjain?

Shri C. K. Bhattacharya: Because that is the central place of India as astronomically ascertained.

Therefore, the Mover of the resolution might base his claim on this particular fact that there is no fixity of the place where the Lok Sabha may sit declared by the Constitution. I wish he might not have gone into other reasons. Of course, the precedent is there; a session used to be held in Simla. But Delhi and Simla are very near to each other, on the same railway line and it can be declared almost to be the next station. Therefore, having a session at Simla instead of Delhi is quite is different thing from having a session in Bangalore instead of in Delhi. If it were feasible we might have desired it, but what I feel is that it is not administratively possible.

If we are to have a session at Bangalore, both the Houses have to go there with the 700 Members, the Ministers have to go there, with the Ministers the officials have to go there and with the officials their departments have to go there. That means such a huge exodus that I feel it might not be practically possible to have this session outside the capital city.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): Tele-communications are very well developed.

Shri C. K. Bhattacharya: There are, of course, telecommunications very well developed, I admit. My hon. friend may even lay claims on telepathy, I won't dispute it. But even with all telecommunications and telepathy the physical difficulty of having 700 Members removed from Delhi to Bangalore with the Ministers and officials is there. That is such a huge experiment that I believe it is not practically possible to have the session in Bangalore though it may be desirable in other ways.

Of all the arguments that have been put forward, disputed and debated, the most important one is integration of the people. I believe, Sir, the integration is already there, unless it is disturbed by interested people. India has achieved that integration through ages, through thousands of years. I want to remind my hon. friends from the south that Bhavabhooti is a poet from the south and yet when he concludes his *"Uttararamacharitam"* he pays his obeisance not to Godavari, Krishna or Cauveri, but to Ganga. He says:

"मागंल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च ।"

That is how Bhavabhooti concludes his drama.

Shri Nagi Reddy: Is it your opinion that we should be satisfied with Bhavabooti and you should be satisfied with industries?

Shri C. K. Bhattacharya: I am not going into industries at all. I am not one whose interest is served by taking part in things that can be derived from people who work in the industries or in industrial unions; I have nothing to do with that. Therefore, I am not straying into things with which I am not familiar or with which I have nothing to do, I am naturally limiting myself to a sphere in which I have travelled in my own life.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Only spiritual?

Shri C. K. Bhattacharya: Why only spiritual? It may be in a metaphysical plain for the benefit of my friends there. I wish I could do something for their meta-physical benefit. I am only trying to prove that if my hon. friends over there apprehend that the integration will not be achieved unless they get heavy industries in the south, it is only a false apprehension. The integration is already there, unless my hon. friends in their own wisdom choose to disrupt it.

On the whole, Sir, the position is this. There is the option given to our President in the Constitution to have a session outside Delhi, but taking practical things into consideration, taking administrative conveniences into consideration, I believe it is not possible to have a session outside Delhi though it may be desirable in any one of the other ways.

Shri Vidya Charan Shukla (Baloda Bazar): Mr. Chairman, Sir, I very strongly support this resolution moved by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri. It is rather unfortunate the way the debate is going on. It is not a question of north versus south, it is just the opposite. We do not want to have any distinction between the north and the south. Sir, those people who oppose this resolution either do not understand the importance of the thing which is under contemplation or they are indifferent to it. It is not a question of physical integration or otherwise. Those people who oppose it probably close their eyes to the realities as they exist in our country at present. The conditions that existed at the time of Bhavabhooti are not existing today; the conditions prevailing in our country are entirely difference, and it is absolutely necessary that we should have something like this.

It will be important not only for the people who will be attending the sessions but also those who live there. We will come into much greater contact with each other and we will be able to understand each other much better.

A lot of excuses about difficulties have been given. Whenever anything important or unusual is being attempted all sorts of difficulties are placed. If a thing is considered to be important and imperative the difficulties have to be removed and they must be removed. Only because there are difficulties in doing a good thing a good thing should not be left off like that. Even if it is not possible for the Government to hold a session of the Lok Sabha at Hyderabad or Bangalore immediately, the Minister should be able to give us an assurance that whenever it is possible in future the Government will very sympathetically consider this and arrange to have at least one session of Lok Sabha every year in the south.

Shri Narayanankutty Menon: Mr. Chairman, Sir, I agree with my hon. friend Shri Shukla that this matter is not to be considered so lightly nor, as my hon. friend from West Bengal said, should it be divided into two camps of people, people from the north and people from the south. Of course, one can understand the technical or other difficulties in holding a session in the south, but when one hears a sort of a fundamental objection that this august Assembly should meet in the south because something of a bad motive is smelt behind it, a lack of integration of either the emotion or intellect of the people, that will have to be strongly objected to. When this resolution was moved, certainly we could say that we were most enthusiastic about it, those coming from the south or those who belong to our party. But we could not possibly understand anybody who unfortunately happens to be coming from a State from the north, taking a serious objection to it, and say that the whole underlying feature of the resolution is a division between the north and the south. My hon. friend says that integration is already there. But I fail to understand whether he realises that the emotional integration of the people of India is yet to take place. We are one with him if he desires that and we are one with everybody that the emotional integration of the people of India, to whatever region the people may belong, is the final goal of ours.

My hon. friend has tried a bit to accuse certain people from this side who have spoken and said that emotional integration in this country having been achieved, unless we from this side try to disrupt that emotional integration, it will continue to exist and it is there. Speaking on this resolution, I wish to tell him that we are the least interested to disrupt the integration of the people of India. At the same time we are interested in getting the emotional integration of the 350 million people of India which unfortunately today, because of other reasons, reasons best known to him and to his party, is certainly lacking in the country today.

The most important reason, whether it is palatable to my friend there or palatable to the Government, is still existing. That is, the people in the south feel that they are a bit neglected. We from this side are not accusing anybody that they have deliberately done it, but let thef face the realities of the situation in this country today. It will not help my friend if he shuts his eyes and says what he wants to say, and accuses somebody else for the situation that faces us today, and has arisen today. My friend there will agree with me that if people in the south really feel that on account of the Government of India . . .

Shri C. K. Bhattacharya: I definitely do not agree with what he is saying. He is imputing something which I did not mean.

Shri Narayanankutty Menon: That feeling will have to be removed. If he looks into the minds of the people of the south he will agree with me that feeling still exists. Are we not to join together and see that that feeling is removed from the minds of the people? If there are no legitimate reasons for the same, are we not free to remove these fears from the minds of the people? If there are no legitimate grounds, let us say that there are no grounds. But to shut one's eyes to the realities of the situation is not

[Shri Narayanankutty Menon]

certainly a good thing and to accuse somebody else that somebody else is responsible for the emotional disintegration of the country is something which is unfair.

In this resolution, of course, as my friend pointed out, there are certain technical difficulties. It may be difficult for moving the entire lot of Members of both the Houses to the south and hold a sitting either at Bangalore or at Hyderabad. But I cannot for a moment agree with the point made by my friend Shri Ansar Harvani that a large amount will be involved in this affair. If we discuss it at this stage and decide that a session of the Lok Sabha should be held in the south, I for one believe that the question of expenses is quite immaterial and unimportant.

The whole question is whether by holding a session of this House in the south the objective that has been put forward by the mover of the resolution will be realised. I feel that when the people of the south in different directions feel that the political and administrative feasibility, which every section of the people in the country desire today, is not given to them, that fear will have to be removed. I have got certain suggestions to make when considering this resolution of holding a session of this House in the south.

For one thing, because of the congestion in Delhi the Government are considering the removal of many offices from Delhi to places like Chandigarh, Gwalior, etc. The important question is not whether physically a particular office is situated in a particular town either in the south or in the north, but the difficulty is that the people of the south find it difficult to get their say reach Delhi. When they want to get things done, because the offices are situated in Delhi, it is very impossible for certain sections of the people to have their say reach Delhi and get things done. When Government is considering shifting some important offices from Delhi, in the light of the sentiments expressed by the people of the South, let some of the offices go to south, just as they go to Chandigarh or some other place in the North. I submit to hon. friends coming from this part of the country that I am not putting this argument in a parochial vein that because I am coming from the South I am pleading for the cause of the South. Whether we come from the north or the south, it is our duty to see the difficulties of the people and see that those difficulties and apprehensions are removed. So, I put the suggestion to the Minister of Parliamentary Affairs that certain offices which are being transferred from Delhi may be shifted to the south.

During the debate, certain difficulties have been put forward before the House. It may not be possible for us, by discussing this resolution for 2½ hours, to come to a real conclusion; it may not be possible for Government also to come to a conclusion within such a short time. I suggest that a committee of Parliament be appointed to go into this question thoroughly and consider the objections raised, including the financial implications as put forward by my hon. friends. The committee may also consider the difficulties regarding library, transferring offices, etc. and that committee may make suitable recommendations to the House, whether it will be feasible in the near future that a session of the Lok Sabha can be held in Bangalore or Hyderabad.

It will not be possible for my friends simply to brush it out by saying that it is impossible to get accommodation. When the Vidhan Saudha building was built in Bangalore at a cost of Rs. 2 crores, I remember the then Chief Minister of Mysore, Shri Hanumanthayya, saying in reply to certain charges that it might even be possible for a session of Parliament to be held in which case the session can be held in the Bangalore Vidhan Saudha building itself. My friend, Shri Keshava, will agree that accommodation will

not be a problem in Bangalore. Bangalore can accommodate not only 700 Members, but the entire secretariat, if it is so desired. I think the Government of Mysore will be only glad to give us all the facilities there. So, not finding enough accommodation or enough money is not a consideration which should weigh with us when we consider this matter. The paramount question is, when the suggestion is made that a sitting of this House should be held in the south, we will have to respect the sentiments of the people. We have not become so spiritual in order to be above sentiments. We must be prepared to respect the sentiments of the people.

So, I appeal to the hon. Members coming from all sides of the country that the sentiments of the people of the south should be respected. Let us not dig deep into the reason behind it, but respect those sentiments. Let a committee of this House examine this proposition. After going into all these questions, if that committee comes to the conclusion that we can surmount all the difficulties expressed on the floor of the House today, let us agree to the suggestion. As my friend from West Bengal said, let us not come to a conclusion so hurriedly that this resolution is not at all acceptable, because it will be feeding the sentiments of the people there. I appeal to him also to wait till the committee is appointed.

Finally, I appeal to the Minister of Parliamentary Affairs not to reject this resolution haphazardly, in a summary manner. Let him agree to a committee being appointed. I hope that a suitable solution will come out of the recommendations of that committee. All sections of the House, including my friend from West Bengal, will be satisfied by accepting the recommendations of that committee.

Shri C. K. Bhattacharya: My only difficulty is friends from the south have cancelled each other. One friend has asked for the entire expenses instead of the session and another friend has asked for the session and not for the expenses.

Shri Nagi Reddy: Let a committee be appointed to go into all the questions.

Shri C. K. Bhattacharya: Have it by all means?

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : सभापति जी प्रस्तावक महोदय ने यह सुझाव रक्खा है कि लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण में रक्खा जाये । सुझाव की भावनाओं को यदि मद्दे नजर रक्खा जाय तो यह ठीक मालूम होता है, पर लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण में कराने से ही भारतवर्ष की भावनाओं का एकीकरण होगा, ऐसा मैं नहीं मानता । यदि केवल लोक सभा का अधिवेशन ही आकर्षण का प्रभावशाली साधन होता तो मैं उन से सहमत हो सकता था, पर आज हिन्दुस्तान में लोक सभा के अधिवेशन के अलावा और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जो कि देश को एकीकरण की ओर या देशभक्ति की ओर लाने के लिये अपने कदम उठा रहे हैं । अभी चन्द दिनों के बाद मैसूर में भारत के ३५ विश्वविद्यालयों के युवको का वार्षिक सम्मेलन हो रहा है । क्या इस सम्मेलन में हिन्दुस्तान के प्रत्येक भाग ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की संस्कृति के प्रतीक, हिन्दुस्तान की एकता के प्रतीक वहां नहीं इकट्ठे होंगे ? क्या वहां पर हजारों जन उन की बातों को सुन कर और उन से प्रभावित हो कर हिन्दुस्तान की एकता की भावना अपने हृदय में नही लायेंगे ? आज हमारे देश भर में कई डेलिगेशन या शिष्ट मंडल जाते हैं, कई सेलेक्ट कमेटियां और दूसरे प्रकार की कमेटियां देश के प्रत्येक राज्यों का दौरा करती हैं और भ्रमण करते करते प्रत्येक राज्य से अपनी संस्कृति के विचित्र अनुभव लाते हैं और उन अनुभवों को ला कर इस केन्द्रीय स्थान दिल्ली में या और जगहों पर जा कर उन अनुभवों के प्रभाव को दूसरे लोगों पर डालते हैं । इसलिये केवल लोक सभा का एक अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में करा

[श्री आगड़े]

देने से ही हमारे देश की एकता में वृद्धि होगी, इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हू ।

कुछ और सदस्यो ने कहा कि जब हम इस समय चारों तरफ से आपत्ति से घिरे जा रहे हैं तो ऐसी हालत में हम क्यों न दिल्ली से जा कर हैदराबाद या बंगलौर में अपनी लोक सभा का अधिवेशन करायें । इस को सुन कर मुझे याद आता है कि यहा एक बार मुहम्मद तुगलक ने भी एक विचित्र बात सोची थी और उसी वक्त दिल्ली को छोड़ कर देवगिरि को अपनी राजधानी बनाई थी । अगर आज हम मुहम्मद तुगलक जैसी भावना से काम करे तो मैं नही समझता कि उस मे क्या लाभ होगा। दिल्ली सदियों से इस देश की राजधानी रही है। दिल्ली की सस्कृति ही सदा भारत की एकता का प्रतीक रही है । भले ही राजा कही का रहा हो, चाहे वह दक्षिण का हो, चाहे पश्चिम का, चाहे उत्तर का रहा हो या पूर्व का, हमेशा उस का केन्द्रबिन्दु दिल्ली ही रहा है । आज हम देखते है कि दिल्ली मे हर समय राज्यों के सास्कृतिक कार्यक्रम होते रहते है । में समझता हू कि दिल्ली में हिन्दुस्तान क्या, सारे संसार के प्रत्येक देश के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और उस मे सब लोग सास्कृतिक प्रेरणा लेते हैं । वास्तव मे दिल्ली ही भारत की एकता का प्रतीक है । यदि हम हैदराबाद मे या बंगलौर में या दक्षिण के किसी स्थान में केवल चन्द महीनो के लिये लोक सभा का अधिवेशन बुलाये तो क्या हमारी सस्कृति की वृद्धि होगी ? क्या हमारी एकता की वृद्धि होगी ? मै तो इस बात को मानने के लिये तैयार नही हू ।

यहां पर लोगो ने कहा कि हम को खर्च को नहीं देखना चाहिये । आप सब लोग जानते है कि इस सदन में एक एक हजार या लाख रुपये के लिये कितनी लड़ाई होती है । दो दो मील रेल लाइन के लिये हम यहां लड़ते हैं । केरल जैसे प्रदेश के लिये, अंडमान, निकोबार और पांडिचेरी को हम २०, २५ लाख रु० दे दें तो वहां पर लोगों को कितना फायदा पहुंच सकता है ? अभी मध्य प्रदेश में एक राजधानी का प्रश्न आया । हमारी केन्द्रीय सरकार राजधानी तैयार करने के लिय कोई रकम देने को तैयार नही है । इस तरह के जमाने में यदि हम इस तरह के अधिवेशन पर रुपया खर्च करते है तो कैसे काम चलेगा । अगर दस साल तक हम अधिवेशन दक्षिण में करते रहें तो करीब करीब पांच करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा । अगर इस पाच करोड रुपये को आप राजधानी बनाने के लिय प्रदेशों को दे दें तो इस से कुछ प्रदेशों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है । लेकिन केवल कुछ लोगो की भावना को सन्तुष्ट करने के लिये आप लोक सभा का अधिवेशन दिल्ली में न करके दक्षिण में बुलायें तो यह अत्युक्ति होगी । मैं यह भी मानने के लिये तैयार नही हूं कि अगर हम लोक सभा का अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में करायें तो उस से हमारे लोगों मे जो अच्छे सेंटिमेंट्स है या मनोवृत्ति है उसे हम आग बढा सकेंगे । राजनीति मे जो काम करने वाले होते हैं उन को सन्तुष्ट करने के लिये हम चाहे जितना प्रयत्न करे, वह राजनीति के दाव पेंच कही न कही निकाल ही लेते है । हैदराबाद मे या बंगलौर में अधिवेशन हो रहा है तो क्या विभिन्न राज्यों वाले या राजनीतिक दाव पेंच खेलने वाले अपने दाव पेंच नही निकाल सकते है ? आप चाहे जहां अधिवेशन कराइये, यह सब तो चलता ही रहेगा । एक सज्जन ने कहा था कि बम्बई बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिये एक अधिवेशन नागपुर में क्यो न बुलाया जाये । अगर ऐसा नही होता है तो वहां के लोगों को बहुत ठेस पहुचेगी । इस सदन में एक प्रस्ताव आने वाला था, लेकिन बैलट मे नहीं आया । यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में लोक सभा का एक अधिवेशन बुलाया जाय । मै पूछना चाहता हूं कि सेंटिमेंट्स को हर जगह रखना और उस को पूरा करना ही क्या उन्नति की

निशानी है ? इसलिये मैं कहूंगा कि यदि लोक सभा का अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में किया भी जाय तो क्या इस से साउथ इंडिया वालों के जो सेंटिमेंट्स हैं या उन को जो असन्तोष है, वह मिट जायगा ? चाहे जो कुछ हम उन के लिये करें यह असन्तोष खत्म नहीं होगा । चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी हो या पी० एस० पी० हो, अगर उन को अपने दाव पेंच खेलने हैं तो वह उन को खेलते ही रहेंगे । इस लिये यह कहना कि अगर हैदराबाद या बंगलौर में लोक सभा का अधिवेशन बुलाया जाय तो उस से हम देश में सब लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकेंगे, यह गलत होगा ।

इसके अलावा हम आज हिन्दुस्तान में एक एक पैसे के लिये विचार कर रहे हैं, अभी होम मिनिस्ट्री ने अपने खर्च में कमी करने के लिये अफसरों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव किया है । इन हालात को देखते हुए कि हम यहां पर नित्य मितव्ययिता के लिये तर्क पेश करते हैं, बंगलौर या हैदराबाद में लोक सभा का अधिवेशन करने के लिये, या दक्षिण में कहीं भी अधिवशन करने के लिये किसी प्रस्ताव को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं । इस का यह मतलब नही कि यहां पर उत्तर और दक्षिण में भेद पैदा होता है या कोई और भेद भाव पैदा होता है । भारत के स्वतंत्र होने के बाद १२ वर्ष तक दिल्ली राजधानी रही है, लेकिन यह आवाज कभी नहीं आई । जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय लोग कहते थे कि देश के केन्द्र बिन्दु जबलपुर या बंगलौर में देश की राजधानी बनाई जाय । परन्तु यह नहीं किया गया । लेकिन यह भावना कभी भी लोगों के अन्दर नहीं आई क्योंकि दिल्ली एक ऐसा केन्द्र है जहां पर हमें हजारों सालों के इतिहास की भावनायें याद आती हैं । इन को हम भुला नहीं सकते । हम उन भावनाओं को रख कर ही देश की उन्नति कर सकते हैं और उस की उन्नति करने में हमें इस तरह की बाधाओं को नहीं आने देना चाहिये ।

इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही सुन्दर ढंग से अपने केस की वकालत की और वकालत के साथ साथ एक वकील की तरह से उन्होंने कई मिसालें भी पेश कीं । मैं उन के इन शब्दों में नहीं जाना चाहता कि पाकिस्तान ने समय की परिस्थिति को देखते हुए अपनी राजधानी बदल ली । मैं यह मंजूर करता हूं कि हाल में वहां ऐसा हुआ है । लेकिन हमारे सामने सवाल राजधानी बदलने का नहीं है । हमारे सामने सवाल इस बात का है कि हमारी लोक सभा का एक अधिवेशन हिन्दुस्तान के किसी दक्षिणी हिस्से में भी हो । मैं प्रस्तावक महोदय को बतलाऊं कि अगर इस तरह की कोई बात पाकिस्तान में होती, वह इस तरह की मांग करते कि पाकिस्तान की लोक सभा का एक सेशन पूर्वी पाकिस्तान में जा कर ढाका में हो . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : वहां लोक सभा कहां है ?

श्री पहाड़िया : मेरा मतलब वहां की संसद् से है अगर वहां के लोग इस तरह की मांग करें कि उन की पार्लियामेंट का एक सेशन पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका में हो, तो प्रस्तावक महोदय का तर्क कुछ जंच सकता था । लेकिन उन लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं कही । वह तो अपनी राजधानी को ही कराची से, जो कि एक कोने में था, हटा कर रावलपिंडी में ले गये हैं इस लिये यह तर्क कुछ जंचा नहीं ।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में है, उसी तरह हिन्दुस्तान के बहुत से राज्य हैं । बम्बई को आप मिसाल के तौर पर

[श्री पहाड़िया]

देखिये । कितना बड़ा राज्य है । मगर वहां के लोग यह सिफारिश लायें कि वहां की असेम्बली का सेशन बम्बई में ही क्यों हो, नागपुर में क्यों न हो, या किसी दूसरे स्थान में क्यों न हो, तो बड़ी मुश्किल पड़ जायगी । इसी तरह से जो प्रस्तावक महोदय भावना की बात कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान में भावनात्मक एकता को लाना है, तो भी यह तर्क ठीक नहीं बैठता क्योंकि इस तरह से हर राज्य जिले जिले के हिसाब से सोचने लगेगा । मैं आप को मध्य प्रदेश का हवाला दूं । वहां की राजधानी भोपाल में है । वहीं पर असेम्बली का अधिवेशन होता है । लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा कहीं कहीं पर आ कर बिहार और बंगाल से लगती है । वहां के लोग क्या करेंगे ? वे कहेंगे कि चूंकि वह हिस्से राजधानी से बहुत दूर हैं इसलिये वहां पर असेम्बली का अधिवेशन हो ।

15.50 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

तो वह जो देश की राजधानी का सवाल है वह प्रान्तों प्रान्तों की राजधानी का सवाल बन जायेगा । इसलिये मैं कहता हूं कि देश में उचित मांगों पर ही ध्यान दिया जाना चाहिये । आज मांग उठी है कि राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में न हो कर जोधपुर में हो । उस की शाखा जयपुर में हो । इस तरह का कोई सवाल होता तो शायद मान लिया जाता, लेकिन राजधानी के सवाल उठाना ठीक नहीं है । बम्बई का इतना बड़ा राज्य जो कि तीन राज्यों को मिल कर बनाया गया तो जिस समय इसका सवाल उठा तो वहां राजधानी का सवाल नहीं उठा था बल्कि इस बात का सवाल उठा था कि बम्बई को किस तरह से बांटा जाय । प्रस्तावक महोदय का यह तर्क कि दक्षिण भारत में लोक सभा का अधिवेशन करने से भावनात्मक एकता आयगी मेरी राय में सही नहीं है बल्कि मुझे तो आशंका है कि आज जो एकता बनी हुई है उसको भी इस तरह का प्रस्ताव ला करके धक्का पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं तो समझता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव लाकर जो भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने की बात कही जा रही है मुझे यह कहने के लिये माफ किया जाय कि इस तरह से तो हमारी स्थापित एकता को कमजोर ही करना होगा और हो सकता है कि इस तरह के प्रस्ताव लाने के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ काम कर रहा हो ।

अब जहां तक सर्विसेज में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अनुपात का सम्बन्ध है तो केन्द्र के सचिवालय में जहां तक आई० ए० एस० सर्विसेज का सवाल है उन पर दक्षिण के लोगों का कब्जा है और इसलिए यह आरोप कि दक्षिण भारत के प्रति उपेक्षा और उदासीनता बर्ती जाती है, यह बिलकुल गलत है । अलबत्ता जहां तक सचिवालय में छोटी नौकरियों का सवाल है उन में तो उत्तर भारत का ही अधिक अनुपात होगा क्योंकि वे नजदीक पड़ते हैं और दूसरे दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में कोई छोटी नौकरियां करने थोड़े ही आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि आमतौर पर उत्तर भारत के लोगों में यह भावना है कि जितनी सेक्रेटेरियट की ऊंची ऊंची सर्विसेज हैं उन पर दक्षिण वालों का ही कब्जा है । इसलिए यह जो कहा गया कि दक्षिण भारत के प्रति उपेक्षा की नीति बर्ती गई है यह बिलकुल गलत है । देश की राजधानी कहां हो इस पर कोई संकीर्ण दृष्टि से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और क्या उत्तर भारत और क्या दक्षिण भारत, देश का हर एक बच्चा बच्चा और देशवासी इस बात के लिए तुला हुआ है कि देश की राजधानी चाहे मद्रास में हो, बम्बई में हो, बंगलौर में हो अथवा दिल्ली में ही बनी रहे, अब भी देश की सुरक्षा पर कोई आंच आने की

सम्भावना होगी अथवा देश की आजादी की रक्षा को कायम रखने के लिये आवश्यकता पड़ेगी तो वे सब समान रूप से बिना उत्तर और दक्षिण का भेदभाव बर्ते कंधे से कंधा मिला कर खड़े हो जायेंगे ।

मैं यह कहना चाहता हू कि इस डिस-कशन के दौरान में यह जो हिन्दुस्तान को केवल दो हिस्सों में बाटा जा रहा है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि किसी भी तरह देश के दो टुकड़े नहीं हो सकते बल्कि चार टुकड़े हुआ करते हैं, चार हिस्से हुआ करते हैं । यह तो खाली उत्तर और दक्षिण भारत की यहां पर चर्चा हो रही है और दक्षिण में भी लोकसभा का सेशन करने की चर्चा चल रही है तो क्या बम्बई वाले अथवा बंगाल वाले इस बात को कभी पसन्द करेंगे कि साउथ में तो सेशन करने की बात हो लेकिन पश्चिम में और पूर्व में सेशन करने की बात न हो ? इसी तरह क्या पूर्व वाले इस बात को नहीं सोचेंगे कि जब दक्षिण में सेशन करते हैं तो क्यों नहीं कलकत्ते में अथवा पटने में लोकसभा का सेशन किया जाय । इसलिये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ही यह सवाल है ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि कोई भी देश आप ले लीजिये उसके चार हिस्से होंगे ही, चार दिशाएं होंगी ही । राजधानी और प्रशासन सम्बन्धी मामलों में यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पृथकतावादी मनोवृत्ति का लाना उचित नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय प्रस्तावक महोदय ने इस बात को बिल्कुल भुला दिया कि हिन्दुस्तान के चार हिस्से हैं......

उपाध्यक्ष महोदय : चार हदों पर चले जायेंगे तो दरमियान का पेट क्या ऐसे ही रह जायगा ?

श्री पहाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में दो बातें कही गई हैं जो कि स्वयं उन्हीं के तर्कों से कट जाती हैं । फिर भी मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जिस समय एक राजनैतिक एकता स्थापित करने की बात चल रही थी उस समय भी मुसलमानों में भावनात्मक एकता बनाये रखने के लिये यह कभी नहीं कहा गया था कि वे एक सेशन पार्लियामेंट का कराची में कर लिया करें । इस तरह से भावनात्मक एकता स्थापित नहीं की जा सकती । अगर हिन्दुस्तान को धार्मिक एकता की दृष्टि से देखा जाये तो आपको पता चल जायगा कि राजनैतिक और आर्थिक एकता के साथ साथ यहां पर धार्मिक एकता भी रही है । अगर भारत के उत्तर में बद्रीनाथ में तो दक्षिण में रामेश्वरम है, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में जगन्नाथपुरी के तीर्थ स्थान हैं और जो कि भारत की धार्मिक एकता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

इसके अलावा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि केवल एक कम्युनिटी कोई खास उत्तर में बसती हो अथवा कोई दूसरी कम्यु-निटी दक्षिणी मे बसती हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि सभी कम्युनिटीज सभी जगह हिन्दुस्तान मे बसती है इसलिये यह जो इस प्रस्ताव के द्वारा एकता लाने की बात कही जा रही है, सही नही है । मै यह दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव लाकर किन्ही राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति का इस तरह दक्षिण भारतीयों को उकसा कर अपने साथ लेने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, सर्वथा उचित नही है और विशेष कर आज की परिस्थिति में जबकि देश की एकता को सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है इस तरह का प्रस्ताव लाना ठीक नही है ।

कुछ भाइयो ने इस प्रस्ताव की चर्चा करते समय सामाजिक एकता कायम करने की भी बात कही है लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि सामाजिक एकता यहा पर

[श्री पहाड़िया]

पूरी तरह से विद्यमान हैं और हम देखते हैं कि शादी ब्याह आदि और त्योहारों पर जो रीति रिवाज उत्तर भारत में पाये जाते हैं वही आम तौर पर दक्षिण में भी बर्ते जाते हैं। पार्लियामेंट का साल में एक सेशन करने मात्र से उनका जो यह विचार है कि सामाजिक भावनाओं की एकता हो जायगी ऐसा मैं नहीं मानता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एकता का प्रतीक चाहे वह भावनात्मक एकता हो, राजनीतिक एकता हो अथवा सामाजिक एकता हो, वह एक ही होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो हमें मालूम हो जायगा कि यहां पर जितने भी शासक हुए, चाहे वे मुगलिया शासक रहे हों अथवा और लोग, उन्होंने प्रत्येक दृष्टि से दिल्ली को ही देश की राजधानी होने के उपयुक्त समझा। हिन्दुस्तान के पहले के शासकों ने ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने भी जिन्होंने सबसे पहले यहां आकर कलकत्ते को देश की राजधानी बनाया था, बाद में में परिस्थितियों को देखते हुए कलकत्ते से बदल कर राजधानी दिल्ली में ले आये। अगर उसमें कुछ ऐतिहासिक, राजनैतिक अथवा आर्थिक तत्व नहीं होता तो मैं समझता हूं कि वे अंग्रेज लोग जो कि यहां हिन्दुस्तान पर इतने अधिक समय तक राज्य कर गये, राजधानी कलकत्ते से बदल कर दिल्ली न लाये होते वरन बंगलौर अथवा हैदराबाद में राजधानी बनाये होते। जो परिस्थितियां आज हैं वे उस समय भी उनके सामने रही होंगी जब उन्होंने दिल्ली को ही राजधानी बनाने का निश्चय किया होगा और कोई उस समय से अब हिन्दुस्तान घट बढ़ थोड़े ही गया है। आज भी सब दृष्टियों से यदि देखा जाय तो हम इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली ही बनी रहनी चाहिये।

अब अगर कुछ भाइयों का विचार है कि बंगलौर अथवा मैसूर में चूंकि असेम्बली इत्यादि के लिये काफी जगह पड़ी है और वहां पर पार्लियामेंट का सेशन हो सकता है, काफी बड़ा हाल है तो हालांकि मुझे यह कहने का अधिकार तो नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस हालत में तो हमारे राजस्थान में काफी भवन आदि खाली पड़े हैं और वहां पर भी बहुत काफी जगह सुलभ है और बंगलौर से भी अधिक जगह वहां पर सुलभ हो सकती है और जहां पर कि राज्य सभा और लोकसभा दोनों चल सकती है और कुछ दिन के लिये वहां पर भी सेशन पार्लियामेंट का किया जा सकता है।

इसलिये इन बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह उचित नहीं है और मैं तो प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यदि अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो गई।

श्री वाजपेयी : उसमें जो विचार निहित है उस को मैं दो शब्दों में रखना चाहता हूं। इस विवाद ने जिस तरह का स्वरूप धारण किया है मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो शायद उन्हें इस बात की कल्पना नहीं होगी कि यह विवाद इस तरह का रूप धारण कर लेगा। जिस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया गया है उसमें उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई नया विवाद खड़ा करने की कल्पना नहीं है। हमारे देश ने एक हजार वर्ष के पश्चात् फिर से राजनैतिक एकता प्राप्त की है और इस एकता को बद्धमूल करने की आज आवश्यकता है। यह ठीक है कि एकता का यह भवन हमारी एक संस्कृति

के आधार पर प्रतिष्ठित है लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में यदि हम एकता को पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसे पग उठाने पड़ सकते हैं जो कि आज की दृष्टि से और हमारे देश की विशालता की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हों। हमारे महामहिम राष्पति जी ने कुछ वर्षों से दक्षिण में जाकर स्वतन्त्रता दिवस मनाने का सकल्प किया है और सम्पूर्ण देश ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है कि वह वर्ष में एक बार नई दिल्ली से बाहर जायें किसी दूसरे प्रदेश मे और वहा की जनता को भी उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क मे आकर इस बात का अनुभव हो कि वस्तुत हमारी जो एकता है वह स्थायी एकता है, व्यवहार्य एकता है जो कि क्षण प्रति क्षण हमारे अनुभव मे आती है।

मैं समझता हू लोक-सभा के अधिवेशन को दिल्ली से बाहर रखने के पीछे भी यही भावना है। प्रश्न राजधानी को बदलने का नही है। राजधानी तो दिल्ली ही रहेगी। यही पर कील गाडी गयी थी जो ढिल्ली हो गयी, इसलिये यह दिल्ली हो गयी। वह कील तो अभी तक गडी है। और उसको उखाडने का कोई प्रयत्न हो भी नही रहा है और करना भी नही चाहिये। प्रश्न तो केवल इतना है कि क्या हमारे लिये लोक-सभा का एक अधिवेशन बगलौर मे या हैदराबाद मे करना सम्भव है।

16 hrs.

इस बात से तो इकार नही किया जा सकता कि जो विंध्याचल के उस पार के लोग हैं वे इस प्रकार के अधिवेशन का स्वागत करेंगे। और इस बात से भी इकार नही किया जा सकता कि वहा अधिवेशन के करने मे अनेक व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइया है। लेकिन हम केवल इस प्रस्ताव को इसलिये ठुकरा दें कि व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइया है, तो मैं समझता हू यह ठीक नही होगा, क्योंकि वह कठिनाइयां ऐसी नही हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आज या निकट भविष्य में हम लोक-सभा का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कही न कर सकें, लेकिन भविष्य मे ऐसी स्थिति आ सकती है, और यदि हमारे ससदीय कार्यों का मत्रालय चाहे और इस सम्बन्ध में शीघ्रता करे तो वह भविष्य निकट में भी आ सकता है जब हम अपनी ससद् का अधिवेशन दिल्ली के कही बाहर कर सके। वैसे अभी भी हमारे देश मे अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहा जाडो में कही अधिवेशन होता है, गर्मियो मे कही होता है। जम्मू काश्मीर की विधान सभा गर्मियो मे श्रीनगर मे बैठती है तो जाडो मे जम्मू में बैठती है। बम्बई की विधान सभा भी पूना मे बैठा करती थी। कांग्रेस राज्य का एक ऐसा भी उदाहरण है कि मध्य भारत राज्य तो एक था मगर उसमें दो राजधानिया थी, एक ग्वालियर में और दूसरी इन्दौर मे। पता नही यह मुहम्मद तुगलक के कदमो के अनुसार था, पर ऐसा था जरूर। जब हमारे कांग्रेस के मित्र इसका विरोध करते है तो वह मेरी समझ में नही आता।

एक माननीय सदस्य इसी कारण तो वह प्रदेश खत्म हो गया।

श्री वाजपेयी इसलिये जहा तक कठिनाइयो का सम्बन्ध है उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करें। लेकिन इस प्रश्न के साथ भावनाए जुडी हुई है और हम उनकी उपेक्षा नही कर सकते।

अभी विवाद ने जो रग पकड़ा है उससे लगता है कि अगर हम इस चीज को सरसरी तौर पर खत्म कर दे कि सदस्यो को ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी, वहा भवन नही होगा, हम कहा बैठेंगे, तो यह उचित नही होगा। १२ वर्ष हो गए पर अभी तक सरकार सदस्यों के लिये दिल्ली मे सारी सुविधायें नही जोड़ सकी तो हैदराबाद और बगलौर में यह कैसे सम्भव होगा, यह दलील भी दी

[श्री वाजपेयी]

यह सकती है और इन दलीलों में बल भी है। मगर इस प्रस्ताव के मूल में जो भावना है उसका समादर किया जाना चाहिये कि देश की एकता को पुष्ट करने के लिये यह बात कही जा रही है किसी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिये नहीं। उत्तर और दक्षिण में कोई नया भेद खड़ा करने की बात की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारा देश बहुत विशाल है, जब भी हम साहित्य में उसका विवरण पढ़ते है तो उसकी विशालता हमारे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस विशाल देश मे हमको घूमना पड़ता है तो भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे अनेक अवसर लाए कि देश के सुदूर भागों मे फैले हुए हमारे देशवासी भी यह अनुभव कर सके कि समान रूप से सभी भागों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, सभी भागो की चिन्ता की जा रही है। और यद्यपि मेरा सशोधन रद्द हो गया है, पर मै समझता हूं कि उसकी जो भावना है कि इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक कमेटी कायम की जाए, उसको मत्री महोदय स्वीकार करेंगे। वह कमेटी सभी तरह के आकड़े एकत्र करे और जो कठिनाइयां है उनको किस तरह से हल किया जाए इसका भी विचार करे। और अगर वह कमेटी उन परिस्थितियो पर विचार करने के बाद भी यह अनुभव करे कि यह सम्भव नही है तो सदन को भी यह मानने मे कोई आपत्ति नही होगी। लेकिन अगर सरसरी तौर पर इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया तो इस का परिणाम देश के कुछ भागो की जनता पर अच्छा नही होगा और उसके प्रति हमे सावधान रहना चाहिये।

Dr. Melkote (Raichur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, various speakers have presented various points of view. It is rather unfortunate that sentiments of lack of unity between the North and South are being given expression to here in this House. As one coming from the South, may I say with all the vehemence at my command that the South is in no way inferior in its patriotism, loyalty and unity in the country and support to the Central Government as compared to be people of the North. If it is felt by the Government that by moving this Resolution, the unity of the country would get jeopardised, we in this House from the south would be the first to withdraw this Resolution and not support it. The Mover of the Resolution has very ably supported it by facts and figures. What is the reason for asking for a session of the Parliament in the south? Members are not unaware that during the month of August when sessions are being held here in Delhi usually, the atmosphere, the humidity and the heat of Delhi is so unbearable that the efficiency of the services and of the Members sapped to the extreme and they have felt therefore that a session in the South would not merely be welcome from the point of view of greater efficiency. If thereby we can strengthen the unity—not disturb it—further, as our Rashtrapati has himself been doing by staying in the south for about a fortnight and by observing the 15th of August in some part of the South, it is more welcome. Government has felt that by the Rashtrapati going there the unity will be cemented further and so why should anybody come here and say that by holding a session in the South there will be disunity in the country. This is a matter which one has got to consider, from the point of view of logic and facts. Is it necessary? What would be the expenses? Is it feasible? What are the difficulties and what could be the advantages? These and other matters have got to be considered dispassionately.

The Mover of this Resolution has done his very best in collecting data but it is my contention that these figures may not be quite correct. Possibly much more sums than what is

involved in these figures are necessary. The movement to the South with all the paraphernalia of Parliament and Government is not such an easy matter. Whilst the advantages would be that in the South, particularly in Bangalore we have a condition which is almost a natural frigidaire condition—whether it is Bangalore or Hyderabad or anywhere—that advantage can never be got in Delhi at any time during the months of June, July, August or September. If, therefore, a session has to be held in Bangalore, the possibility of giving Members greater energy and enable them to put greater effort and at the same time bring people of the South in contact with the North and the people of the North with the South. Money may have to be spent but large expenditures are awaiting us in many other important directions, particularly, at this juncture, when are faced with numerous difficulties in the Northern border. Whether we should undertake a legislation of this type at this juncture is a matter for serious consideration both for the Government and ourselves. But apart from this, if the Government also supports this move at this juncture, I feel that a committee should be set up to investigate all these possibilities, go down to the South and find out which would be the best place and what would be the expenditure involved and how it ought to be done. All this data has got to be collected before we could decide exactly what should be done in the matter, Shri Vajpayee has himself said that Governments have moved from Delhi to Simla, Gwalior to Indore, from Bombay to Poona for holding sessions. It is coming today in every place. I, therefore, feel that this is a matter which can be considered from all these aspects by a committee and I support the Members who have sponsored the idea of setting up a committee of Parliament. Possibly the Government may also investigate into all these matters and collect data and place them before us and till then the debate may possibly be postponed. That is my point of view and I have placed it before the House for its consideration.

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जब बहस हो रही थी और उस वक्त जिस भावना का प्रदर्शन किया गया...

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अभी हो रही है।

श्री बालकृष्ण वासनिक : हां, हो रही है, ...उससे मुझे कुछ दुख हुआ है। इस सदन के बाहर ही नहीं, परन्तु इस सदन में भी दक्षिण और उत्तर के अलग अलग सदस्यो के मन में जो भावनायें वर्तमान है, वे आज इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ ऊपर आ गई है। मै समझता हू कि इस प्रकार की जो भावनाय हमारे देश के विधानकर्ता मन मे है, वे इस देश की एकता को कोई दृढ़मूल करने वाली नही है और उनको हम जितनी जल्दी दूर कर सके, उतना ही अच्छा होगा, इस देश के हित मे होगा, ऐसी मेरी कल्पना है।

आप जानते है कि यह जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, उसका समर्थन करते हुए कुछ सदस्यों ने यह कहा कि यदि लोक सभा का एक सत्र दक्षिण मे बंगलौर या हैदराबाद मे किया जाता है, तो दक्षिण के लोग उत्तर के आक्रमण या उत्तर के आधिक्य के बारे में अपने मन में जो कुछ महसूस करते है, वह उनके मन मे नही रहेगा— वह दूर हो जायेगा। कुछ लोगो ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन को छोड़ कर साल में एक बार कुछ दिन के लिये जो निलयम में जाते है, उसका कारण भी यही है और पन्द्रह अगस्त का समारोह दक्षिण मे मनाने का जो निश्चय किया है, उस का कारण भी इसी प्रकार का है। मै समझता हू कि इस भावना को ले कर यदि किसी काम को हम करना चाहे, या करने का सोचे, तो उससे वह भावना दूर होने की अपेक्षा उस भावना को हमने मान्यता दी है, ऐसी बात होगी। चूंकि दक्षिण के लोगो की भावनाय उत्तर में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

लोकसभा का सत्र होने मे कुछ क्षेत्रों में टक्कर जाती हैं, इसलिये हम लोक सभा का एक सत्र दक्षिण में ले जाय, क्योंकि उनकी भावनाओं का हमको समाधान करना है, तो मेरा ख्याल है कि उस भावना को खत्म करना.तो उससे होगा नही, बल्कि उस का अर्थ उस भावना को और दृढ़ मूल करना होगा और उस दृष्टि से मै समझता हू कि यह हमारा करना देश के हित मे होगा, ऐसा नहीं है ।

हम यह तो कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रपति एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दस बार दक्षिण में जाये, वहां पर कोई कार्यक्रम किये जाय । वह दक्षिण मे जाये, पूर्व और पश्चिम में जाये, देश के विभिन्न भागों में जाये, परन्तु वह भावनाओं के समाधान की दृष्टि से जायें, यदि यह बात हो, तो यह भावनात्मक एकात्मकता की बात नहीं है । अलग अलग प्रकार की भावनाओं— भाषा की भावना, प्रान्त की भावना, अलग अलग रीजन की भावना—कितनी कितनी भावनाओं का समाधान करने के लिये कितनी कितनी बातें करनी पड़ेंगी, यह बात आज हम को और आपको समझनी है । इस दिल्ली में बैठ कर सारे हिन्दुस्तान की एकता हुई है । भावनात्मक एकता का निर्माण करने के लिये बंगलोर, मद्रास, हैदराबाद जाने की आवश्यकता है, ऐसा मै नही समझता ।

कुछ दिन पूर्व मैंने एक रेज़ोल्यूशन भेजा था, जो कि बैलट मे नही आया । एक माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव के लिये एक अमेंडमेंट दी थी, किन्तु वह शायद मूव नही की गई । उसमें कहा गया कि छोड़ दीजिये दक्षिण और उत्तर की भावनाओ को, पूर्व और पश्चिम की भावनाओं को, और इस समस्या का समाधान देश के केन्द्र में किया जाये । तब इस प्रकार की भावना नहीं आ सकती है । यदि इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जावे, तो वह ज्यादा अच्छी बात होगी, ऐसा मैं समझता हूं और इस दृष्टि से इस प्रश्न का विचार करना आज अत्यन्त अनिवार्य और आवश्यक है । बिलासपुर के एक माननीय सदस्य ने और दूसरे एक सदस्य ने नागपुर का नाम भी लिया है और यदि उस दृष्टि से नागपुर का विचार किया जाता है, तो कोई हानिप्रद बात होगी, ऐसा मै नहीं समझता । इस प्रस्ताव पर हो रही बहस का उपयोग में नागपुर का नाम आगे करने के लिये कर रहा हूं, ऐसी बात नही है, परन्तु नागपुर का नाम मै इसलिये रख रहा हूं, क्योंकि वह देश का केन्द्र बिन्दु है—न वहा उत्तर और दक्षिण का झगड़ा हो सकता है और न किसी कोने का झगड़ा हो सकता है । इस प्रकार अलग अलग कोनों के बारे में झगडने की भावनाओं को हमको पूर्ण दृष्टि से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

Shri Keshava (Bangalore City): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this resolution wholeheartedly. In fact, I myself had given notice of a resolution of this type a long while ago, and I have been consistently giving notice of it. It is very lucky on the part of my friend, the present mover of this resolution, that this resolution has been drawn at the ballot. Even during those days when my resolution had been drawn, it was not in the order of preference. It came in a little later. During that time, there was a lot of discussion among the members of the legislature in the State of Mysore and among other people also about this matter; it agitated their minds It was also considered.

I have absolutely no hesitation in saying that the people of Mysore and the Government of Mysore heartily welcome any opportunity of a session of the Lok Sabha being held once a year anywhere in the city of Bangalore. The Vidhan Saudha has almost been made suitable for the purposes of holding a session of the Lok Sabha and of the Rajya Sabha. The Mysore State has got two Houses of the legis-

lature and both Houses of Parliament can easily and conveniently hold a session in the city of Bangalore

We should not agitate ourselves and complicate matters by saying that it is a shifting of the capital or anything of that kind It is not a question of shifting the capital. It is only a question of holding a session of Lok Sabha in the south, in the city of Banagalore for a short while

The question of accommodation also need not bother us at all As some of my friends have put it, I have absolutely no objection in heartily welcoming the suggestion that a committee may be appointed for enquiring into this question We need not readily resolve here to hold a session there Let the Committee go into the ways and means of holding a session and let all the incidental matters connected with it be considered by the committee and let their recommendations or report be placed before the House

I heard the hon Member from Himachal Pradesh saying that there are 700 Members of Parliament and we may demand 700 bungalows in Bangalore In fact, they have not been able to provide one bungalow for each Member of Parliament in Delhi In fact, many of us are living in hostels and in the Constitution House and other places Such being the case, it is not a question of accommodation There is no difficulty at all in securing accommodation for 700 Members of Parliament or even for the retinue of Government that is likely to follow

Matters as to questions in Parliament, how to get information, etc, were also discussed and the difficulties were considered I submit in this House that even now particulars regarding questions connected with the South and the far corners of our country are being secured here by means of telegrams and telecommunication facilities, etc The only difference will be that questions relating to the north will have to be handled the same way as we are now handling questions relating to the south. That is the only difference that we may have to face Merely because there are a few difficulties of this type, we should not feel that it will be difficult to have a session in the south, such difficulties need not come in the way of our coming to the conclusion that a session be held in the City of Bangalore

I am not pleading for it on account of the fact that I come from the city of Bangalore or that Bangalore is the capital of Mysore State I am putting it on a much larger ground In our country we have had the administration at Delhi for several thousands of years, even during the days of Akbar and Asoka, and the administration has never made itself felt in the far south It is only now that we have freedom and our flag is flying in all the places, where even the British flags did not fly In these circumstances, it is very necessary in the larger interests of the country that the august House and the accredited leaders of Parliament must find their way, come to the south and have a session there We find many time people standing in the queue to see the Lok Sabha in session People in the south also are very anxious to see the Lok Sabha in session So, it will be a matter of grace if we shift ourselves for a short while and have the House conducted in the south

An hon Member was pleased to say that we have been given railway passes and we can travel all over the country It is not a question of facility of travel Have we all travelled all over the country? We do not go unless there is some definite purpose I am sure many Members would not have travelled far down south unless there was some definite purpose Merely because we are provided with railway facility, it does not mean that there is no need for holding sessions of the august House in the south It is not a question of running away from the heat of Delhi, just as they did during the time when they shifted to Simla. Nor does it matter or that industries are not located there We do realise that the mineral wealth in

[Shri Keshava].

our country is hidden in the bosom of the north and we cannot expect that the industries in the north should be shifted to the south. Even if that be so, it is a poor consolation to have Lok Sabha sessions there with that view. We should take a realistic view of this matter. Of course, there is plenty of emotional integration in the country. If only we adopt this procedure, we will strengthen it further and consolidate it.

Considering the larger aspects of the matter, I heartily support the proposals made by the mover of the resolution and also endorse the suggestion made by other friends that a committee may be constituted. That committee may look into all the aspects of the matter and then we can come to a conclusion. With these words, I heartily support the resolution.

श्री भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव रखने हुए जो विचारधारा सदन के समक्ष उपस्थित की है, उसको देखते हुए यह प्रस्ताव व्यावहारिक नही मालूम पड़ता है। साथ ही साथ इस प्रस्ताव के बारे में जो विचारधारायें सभी ओर से प्रस्तुत की गई है उनको देखते हुए भी जो एक छोटा सा लाभ प्रस्तावक महोदय ने दिखाने की चेष्टा की है वह लाभ भी मेरे ख्याल में हानि में परिणत होता हुआ नजर आता है।

जहा तक देश की एकता का प्रश्न है उसके बारे में देश की संस्कृति ने जो कुछ हमें दिया है तथा दूसरी जो बातें बतलाई है उन सब को देख कर भी यही कहा जा सकता है कि हम हमेशा एक रहे है, एकता हमारा हमेशा से ही लक्ष्य रहा है और रहेगा और इस तरह की जो अनेकता पैदा होने की बातें हैं वे कभी भी पैदा नही हो सकती है। अभी हमारे मित्रो ने कहा कि चार धाम हमारे यहाँ हैं, चारों धामों के महातीर्थ यहां बनाये गये हैं और इन तीर्थस्थानों में जा करके लोग एक दूसरे से मिलते जुलते है और साथ ही साथ अर्थ-लाभ भी करते है। इसी तरह से आप के यहां वसुधैव कुटुम्बकम् का सिद्धान्त बताया गया है। यह भी कहा गया है :—

सर्वे भवन्तुसुखित., सर्वे सन्तु निरामया: ।
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग् भवेत्

श्री दी० चं० शर्मा : इसका अनुवाद कर दीजिये।

श्री भ० दी० मिश्र : अगर इसका अनुवाद करना आवश्यक है तो मै शर्मा जी के लिए किए देता हूं। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश का लक्ष्य यह रहा है कि सब लोग सुखी रहें, किसी प्रकार की आपत्ति उनके सामने न आवे और हर तरह से, हर प्राणी का मंगल हो। यह भावना हमारे देश की हमेशा रही है। साथ ही साथ यह उच्चतम भावना देश में गिनी गई है।

ऐसी अवस्था मे इस प्रस्ताव को लाना और इस प्रस्ताव के बारे मे प्रस्तावक महोदय ने जो अर्थ के अलावा दूसरी कठिनाइयां बतलाई हैं, उनको हल भी कर लिया जाए तो भी मेरे विचार में यह प्रस्ताव व्यावहारिक प्रतीत नही होता है। उन्होने कहा कि दक्षिण के भाइयो में कोई ऐसी भावना पैदा नही होने देनी चाहिए कि जिस से वे यह समझे कि उनके बहुत दूर रह करके, संसद् का अधिवेशन वहा न करके उनकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन मै समझता हूं कि इन सब कठिनाइयो पर अगर काबू पा लिया जाए और अधिवेशन वहा किया जाए तो भी यही कहावत चरितार्थ होगी कि पहाड़ खोद करके चूहिया निकाली गई है।

हमारे यहां इतनी बड़ी बात हो गई है कि जिसका ठिकाना ही नहीं। यहां पर

लोकतंत्री व्यवस्था चालू हो गई है और लोग जानने लगे हैं कि किस प्रकार काम हो रहा है। यहां पर यह भी कहा गया है कि पहले पहले शिमला में संसद् का अधिवेशन हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का यहां राज्य था और कुछ गिने हुए मेम्बर होते थे। विदेशी अपनी सुविधा के लिए वहां पर अधिवेशन कर लिया करते थे वह दूसरी बात थी। लेकिन आज जब कि हमारा इतना विस्तृत क्षेत्र हो गया है, इतने अधिक विभाग हो गए हैं, इतने अधिक अधिकारी हो गए हैं, लोक सभा का अधिवेशन किसी दूसरी जगह पर करना व्यावहारिक नही मालूम पड़ता है।

प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि इस प्रस्ताव का विरोध करते समय अर्थ की आपत्ति आएगी लेकिन उसका मुकाबला भी हम को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से यदि हमको अधिक लाभ दिखाई पडता हो तो अर्थ की आपत्ति पर भी ध्यान न देते हुए उस काम को हमे करना ही चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव के मूल मे कोई अधिक लाभ न देख करके मै यह देखता हूं कि ऐसे भावो का प्रदर्शन यहा होने लगा है जो कि ठीक नही है। कोई साहब कहते है कि उत्तरी भावना इसके पीछे है, कोई कहते है कि पूर्वी भावना इसके पीछे है और कोई कहता है कि पाश्चात्य भावना इसके पीछे है और उसका सकेत भी किया है। एक दूसरे साहब ने अपने कोई केन्द्र बिन्दु की ओर इशारा करते हुए यह कहा है कि कोई अनुचित बात नही होगी अगर नागपुर में इसका अधिवेशन किया जाए और यह ज्यादा उचित भी होगा। मै समझता हूं कि यह वैसी ही बात हो जाएगी जैसी प्रान्तीयता की भावना को लेकर हो गई थी। देखने में आया है कि द्विभाषी प्रान्त जब बनाये गये तो बहुत विकट समस्या उपस्थित हो गई। इस लिए प्रस्तावक महोदय से मैं कहना चाहता हू कि जिस भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, उस भावना का इस प्रस्ताव के साथ संतुलन स्थापित करने की चेष्टा आप ने नही की है और न वह हो ही सकी है अन्यथा इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख वह उपस्थित न करते।

इन शब्दो के साथ मैं इस प्रस्ताव को सर्वथा अव्यावहारिक समझता हू और समझता हू कि आर्थिक दृष्टि से भी इसको अगर देखा जाए तो भी स्वीकार नही होना चाहिये। इसका कोई खास लाभ दिखाई नही देता है। इस वास्ते मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हू कि वह इसको वापिस ले लें।

Shrimati Renuka Ray (Malda): I just want to speak for a very short time and say that I see no reason why the idea. behind the resolution should not be supported. There is no reason why one small session of the Lok Sabha should not be held in Bengalore, where there is accommodation. I do feel, of course, that the present is not a very appropriate time to think in terms of any extra expenditure on such matters. But that is not a reason to summarily dismiss the idea altogether. I do not think that members are correct in saying that automatically the question of holding it in Calcutta, Bombay, Nagpur or other place should come up just because we think of a place in the far south. I do feel that in a country as vast as this there is no reason why we should not adopt measures by which we lose nothing and gain much If we have one session, say August session, at Banagalore—Bangalore has the accommodation—of extra expenditure will be there because all the Ministers have to go and stay there for some time That has to be thought out. I do not say off-hand that it could be done I also do not think that the present is appropriate for it. But I do feel that we should not summarily dismiss the idea, but should give it some thought. I do also feel that it is not for the people from

[Shrimati Renuka Ray]

the North, whether they come from West Bengal or whether they come from Bombay or whether they come from Nagpur, which is a central place, to say that it is not at all necessary to have it in Bangalore and that the question of unity also is at stake, or that the question of the capital being changed comes up These things do not come up over this I feel that we ought to consider this idea We cannot do anything about it at the moment because, as I see it, if there is any additional expenditure that has to be gone in for, at this moment of crisis we cannot think of it It is an inappropriate moment But it is also a thing that we should consider some time in the future I do not come from the South Though I am taking up the time of the House, I felt that I ought to support the underlying idea behind this Perhaps a committee could be formed to look into the matter

Mr. Deputy-Speaker: Before I call upon the hon Minister, I would call upon the hon Member from Delhi to have his say.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षीत-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि यह विवाद अधूरा रह जाता यदि किसी दिल्ली वाले को बोलने का अवसर न दिया जाता।

जहां तक लोक सभा और राज्य सभा के यहां बैठने का सम्बन्ध है, दिल्ली वालों के लिए यह एक गौरव की बात रही है और दिल्ली को यह गौरव बहुत समय से प्राप्त रहा है। किन्तु दिल्ली का जो स्वरूप हुआ करता था वह बिल्कुल बदल गया है। अगर यह कहा जाए कि दिल्ली में उत्तर भारत के ही लोग रहते हैं तो यह कहना ठीक नहीं होगा। दिल्ली में सभी प्रान्तों के लोग रहते हैं और यहां आकर वे बस गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली वालों की अपनी संस्कृति न रह कर वह एक मिश्रित संस्कृति बन गई है और एक नई ही संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। आप सब का आतिथ्य करने के लिए दिल्ली वालों ने अपनी सब बातों को त्याग दिया है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। देश के सभी प्रान्तों के लोगों को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने यहां विधान सभा रख सकते हैं और उस विधान सभा के द्वारा अपनी बातें शासन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दिल्ली वालों ने आप सब के स्वागत में अपने उस अधिकार को छोड़ दिया है और उस अधिकार को छोड़ने के बाद जो दिल्ली वालों की समस्त समस्यायें हैं, उनको हल करने का दायित्व आप पर डाल दिया है। आप ही के ऊपर आज उनका दारोमदार है।

ऐसी सूरत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली वालों की ओर से आतिथ्य की कोई कमी रह गई है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे हम आपका स्वागत सत्कार करने के लिए जो कुछ और बन सकेगा, करेंगे।

श्री वी० च० शर्मा : अपनी जान की खैर मांगो।

श्री नवल प्रभाकर : यदि आप लोगों की खातिर जान दे कर भी स्वागत करने का अवसर हम लोगों को दिया जाए तो वह हमारा अहोभाग्य होगा।

एक माननीय सदस्य : जान कितनी एक है।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली में जितनी जान है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। सारे देश की जानें सिमट करके यहां एकत्रित हो गई हैं। दिल्ली में एक मूल है और उस मूल से एक बड़ा वृक्ष पैदा हुआ है। वहां पर

जो भी संस्कृति है वह कोई दिल्ली की अपनी पुरानी संस्कृति नहीं है।

दिल्ली में जो एक बार आ जाता है उसको दिल्ली भूलती नहीं है। जब जौक यहा से कही बाहर चले गए तब भी उनको दिल्ली की गलिया याद आती रही। आप कही भी जाए दिल्ली की गलियो को नही भूल सकते है। मैंने देखा है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यहा सारे जौक नही हैं।

श्री नवल प्रभाकर : मुझे तो सब जौक से मालूम देते हैं। मैंने देखा है कि हमारे बहुत से जो पुराने सदस्य है, वे दूरस्थ स्थानो से भी यहा पर साल मे एक दो बार आ जाते हैं। जो निर्वाचित हो कर आते हैं वे तो यहा रहते ही हैं लेकिन जो दुबारा निर्वाचित हो कर नही आ पाते वे भी अक्सर देखने में आया है कि कभी कभी यहा आही जाते है और चन्द दिन लगा जाते हैं। जब ऐसी बात है तो मैंने सोचा कि कोई न कोई बात जरूर है जो कि *उनको यहा खीच कर लाती है। उनकी* पुरानी स्मृतिया उनको यहा खीच लाती है। वैसे तो दिल्ली मे कोई विशेष आकर्षण नही है। अधिक गर्मी यहा पडती है। सर्दियो के दिनो मे सर्दी भी होती है और कुछ अधिक भी वह हो जाती है। जहा तक बरसात का ताल्लुक है वह नार्मल होती है। यह ठीक है कि सौदर्य की दृष्टि से अगर इस मसले पर विचार किया जाए तो काश्मीर का चुनाव किया जाना चाहिए था और उसके सम्बन्ध मे कहा जाना चाहिए था। लेकिन यह कहा जाए कि एकता की दृष्टि से वहा अधिवेशन हो तो यह जचता नही है। इस बारे मे दिल्ली की क्या स्थिति है, यह देखने की जरूरत है आज अगर किसी को यह कहा जाए कि यह दिल्ली वाला है तो यह बात ठीक नही होगी, वह दिल्ली वाला नही है। कोई अपने को कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हू, कोई कहेगा कि मै बगाल का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, कोई कहेगा कि मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और कोई कहेगा कि मै इस या उस प्रान्त का रहने वाला हू।

ऐसी स्थिति में मै कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य दिल्ली से ऊब गए है और इसका कारण आतिथ्य का अभाव है तो हम आपके लिए सब कुछ हमेशा करने के लिए रहेंगे। आगे हम और खातिरदारी से तैयारी करेंगे, और हम समझते है कि आप ने दिल्ली से जो अपना इतना स्नेह बनाये रक्खा है, उस को नही छोड़ेंगे और बराबर दिल्ली के अन्दर जो यह दो सदन हैं वे आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे और आप इसी तरह से यहा बैठे रहेंगे। लेकिन इस के बावजूद भी अगर आप यह तय करते है कि आप को दूसरी जगह पर अधिवेशन करना ही है और आप को यहा से कही जाना पड़ा तो मैं समझता हू कि जो सुविधायें आप को आज प्राप्त है वे जरूर आप को हमेशा याद आती रहेंगी। मै तो विश्वास करता हू कि हमारा और आप का स्नेह जो है वह आप को पुन. यहा खीच लायेगा।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) . उपाध्यक्ष महोदय,. . . .

Shri Narayanankutty Menon: Why not speak in English?

Shri Satya Narayan Sinha: Because the Mover insisted, because he has moved the resolution in Hindi. This is the first time in Parliament that I am going to speak in Hindi. Let me speak.

Shri T. B. Vittal Rao: In fairness to the South, you should speak in English.

श्री सत्यनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय के ओजस्वी भाषण को मैं सुनता रहा। उस भाषण के पीछे जो भावना है उस की भी मै बहुत कद्र करता

[श्री सत्य नारायण सिंह]

हूं। इस प्रस्ताव की बहस में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जिन को मैं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रस्ताव के सिलसिले में वे बातें उभर आयेंगी। लेकिन मैं उन बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस प्रस्ताव का विरोध व्यवहारिक दृष्टि से ही कर रहा हूं। सरकार के लिये मौजूदा हालत मे या निकट भविष्य मे भी इस प्रस्ताव को कबूल करना बिल्कुल असम्भव सा है। जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है अगर वे ठंडे दिल से विचार करे तो उन को खुद को यह कबूल करना होगा कि आज के दिन जिस तरह का अधिवेशन हमारी लोक सभा या राज्य सभा का होता है, जिस तरह से हमारी डिमाक्रेसी चलती है, उस मे पद्रह दिन के लिये या छ: हफ्ते के लिये अगर हम किसी और स्थान को सारी सरकार को ले जाये, क्योकि छ: हफ्ते से कम तो कोई अधिवेशन चलता नही है, तो जो काम हम आज कर रहे है वह बिल्कुल अधूरा रहेगा। वह कभी पूरा नही हो सकता है। एफिसिएन्सी का सवाल तो दूर, काम ही नही हो सकेगा। यह कोई हिन्दू महा सभा या राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा किसी अन्य पार्टी के अधिवेशन की बात तो है नही कि जब चाहा एक पंडाल बना लिया, थोडे से वक्त के लिये टेंटस खडे कर लिये और दो तीन प्रस्ताव पास कर काम खत्म हो गया। इस के लिये खास तौर पर इन्तजाम चाहिये। पता नही बंगलौर मे कोई मकान भी है या नही कि जहा ५०० सदस्य लोक सभा के आ जाये।

एक माननीय सदस्य हास्टेल बनवाइये।

श्री सत्य नारायण सिंह : फिर राज्य सभा की बैठको के लिये भी पता नही कोई स्थान हो या न हो। सिर्फ इतनी ही जगह की जरूरत नही है। जरा आप सोचिये कि ७५० सदस्य हैं। सब के पास टेलिफोन है। ७५० सदस्यों के लिये कितने टेलिफोंस की जरूरत होगी? मैं एक छोटी सी मिसाल रखता हूं कि सेक्रेटेरियट से कितने लोग जायेंगे। हम क्वेश्चन आवर रखते हैं। एक सदस्य ने आ कर कहा कि हम चाहते हैं कि दक्षिण में अधिवेशन तो हो लेकिन क्वेश्चन आवर खत्म किया जाय। जरा इस को आप सोचिये कि पार्लियामेंट का अधिवेशन हो पर क्वेश्चन आवर ही न हो। इसी समय तो कुछ सदन में जान रहती है, इस के अलावा यहां क्या रहता है? समूचा सदन खाली ही रहता है।

एक माननीय सदस्य : ऐसी बात नही है।

श्री सत्यनारायण सिंह : आम तौर से ऐसा ही रहता है। सदस्य दूसरे कामों में लगे रहते है, सदन के काम में नही रहते। और जगह पर हजारो लोगों को जाना पडेगा। हम लोग शिमला जाया करते थे, उस जमाने मे जब कि सदन के मेम्बर ११५ हुआ करते थे। आज जहा हमारे दोस्त बैठे हुए है वहा हम लोग बैठा करते थे। मुझे याद है कि उस वक्त की सरकार के बजट के जमाने मे शिमला एग्जोडस को ले कर कडा विरोध हुआ करता था। यह एक हार्डी ऐनुअल हुआ करता था। इस मे और कोई बात नही थी, पैसा कितना खर्च होता था। दिल्ली से सारे आफिसेज को ले जाते थे। अगर उसी एग्जोडस की हम माग करे तो यह तो सम्भव नही है। मैं ने टेलीफोन का जिक्र किया। जितने लोग जायेंगे उन को बंगलौर तो क्या शायद बम्बई एक्सचेन्ज भी ऐसी हालत में नही है कि उतने टेलिफोन प्रोवाइड कर सके। मशीनरी है, प्रिंटिंग प्रेस को ले लीजिये, यहा कितना कागज छपता है, सब के पास जाते हैं। यहा पर आसानी से, सहूलियत से, सब कुछ मिला हुआ है। यहा तो सब के सब लोग आ जाते है, वहा कितने लोग पहुचेंगे। यहा से कितना सामान ले जाना होगा। यह सम्भव नही है कि बंगलौर या हैदराबाद में आ कर हम सब का सब सामान जमा कर सके। यह असम्भव सी चीज है कि सब का इन्तजाम हो

जाय। यहां पर ५० या ६० लाख रु० का ही सवाल नहीं है। खर्चे से बढ़ कर काम का सवाल है। हमारे यहां मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर सब मिला कर करीब ५० आदमी हैं। संसद और गवर्नमेंट का सम्पर्क कितने नजदीक का है। बिना संसद के आदमियों के इन मिनिस्टरों का काम नहीं चल सकता। यह तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में है कि वह थोड़े समय के लिये राज्य के सारे भागों में जायें ताकि देश के हर इलाके के लोग समझें कि वह इस भारतवर्ष के अंग हैं। ऐसा कहा गया कि एक हफ्ते के लिये प्राइम मिनिस्टर वहां रहे, मिनिस्टरों को चाहिये कि साउथ में जा कर लोगों से सम्पर्क बनाये। लोक सभा से कोई साउथ ऐंड नार्थ का सम्पर्क बढ़ेगा ऐसा मैं नही समझता। मैं श्री नागी रेड्डी की बात को कबूल करता हूं कि अगर सचमुच यह संदेह हो कि दक्षिण के लोगो को उत्तर के लोगो से कम अधिकार प्राप्त है या जो सारे अधिकार हम लोगो के हाथ में हैं और उनके साथ समुचित न्याय नहीं होता है तो इस सभा का एक छहफ्ते का अधिवेशन दक्षिण में कर देने से उन की शिकायत मिट जायगी।

लोग कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो इस से क्या होता है। हम से भी बड़ा चाइना है, उस को देखिये, यूनाइटेड स्टेट्स को देखिये, रशिया को देखिये। कभी सुना आप ने कि वहा के लेजिस्लेचर का अधिवेशन राजधानी के बाहर हुआ हो। यह बात दूसरी है कि आप राजधानी ही बदल दीजिये। कही पर आप गवर्नमेंट को ले जाइये, यह सम्भव बात है। लेकिन जहा राजधानी होती है लेजिस्लेचर की मीटिंग भी वहीं होती है, चाहे कुछ लोगो को सुविधा हो या असुविधा। इस को तो हमें कबूल करना ही है, इस से हम भाग नही सकते है कि आज के जमाने मे जब कि हमारी इतनी बड़ी पालियामेंट है, उस के सब मेम्बरो को, पार्लियामेंट के सेक्रेटेरियट को, उस के सारे पैराफर्नालिया को हम लादे फिरें, यह बिल्कुल मौजूं नही है। बल्कि आज कल के जमाने को देख कर, हमारे मेम्बर महोदय हमें माफ करेंगे, यह एक बेतुकी सी बात लगती है। यहां पर यह सवाल नहीं है कि अधिवेशन में कहां के सवाल आते हैं। वहां पर सब तरह के क्वश्चन आयेंगे। कही का भी क्वेश्चन रक्खा जाय, सारे आदमियो को यहां से जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के ही सारे आदमियों को नही, लोक सभा सेक्रेटेरियट और राज्य सभा के सेक्रेटेरियट के आदमियों को, मेरे डिपार्टमेंट के सारे आदमियो को जाना पड़ेगा। यहां तो एक एक पैसे को देखा जाता है लेकिन जब वहां मिनिस्टर जायेंगे तो उन के साथ काम करने के लिये छः सप्ताह के लिये उन के आदमी भी जायेंगे। इन सब बातों को सोच कर यह मालूम होता है कि इस प्रस्ताव को नही कबूल किया जा सकता है। इस लिये मै बहुत अदब से प्रस्तावक महोदय से दर्खास्त करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। और अगर नही लेते है तो मै सदन से दर्खास्त करता हूं कि वह इस को नामंजूर कर दे

एक माननीय सदस्य : कमेटी के बारे में क्या हुआ ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जब यह मंजूर हो ही नही सकता तो कमेटी का क्या सवाल है ? जैसा मै ने बतलाया आप इस को सोचिये कि कोई भी कमेटी इस मामले को कैसे हल करेगी। यह एकदम असम्भव सी चीज है। सब मिनिस्टरो का जाना होगा, सारे सेक्रेटेरियट को जाना होगा। हां अगर यह कहा जाय कि राजधानी को बदल दिया जाय तो यह दूसरी बात है। ठीक है, जहां पर सरकार हो वहां अधिवेशन हो, साउथ में हो, बीच में हो, कही हो। यह बात समझ लीजिये कि आज जिस तरह से सवाल उठा है और दक्षिण की बात कही गई है, आप कुछ भी तय कर लीजिये, लेकिन यह सवाल दक्षिण तक ही सीमित नही रहेगा। अगर पालियामेंट दक्षिण में बैठेगी तो दूसरी दूसरी जगहों से

[श्री सत्यनारायण सिंह]

कर्मचारी जायेंगी । इसलिये असम्भव चीज है । जैसा मैं ने कहा कि यह कोई कांग्रेस का अधिवेशन तो है नहीं कि एक पंडाल बना लिया, टेंट गाड लिया और दो चार दिन जल्सा कर के फिर चले आये ।

Shri Narayanankutty Menon: A suggestion has been made regarding the appointment of a committee What is the hon. Minister's objection to consider this matter and decide after some time?

Mr. Deputy-Speaker: When the proposition itself is not considered feasible by the Minister, why go into the question of having a Committee? What is the use of it?

Shri T. B. Vittal Rao: He cannot be the judge of the whole thing.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Prakash Vir Shastri

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है और इस के ऊपर जो चर्चायें इस थोड़े समय में इस सदन में हुई हैं उन के सम्बन्ध मे मुझे इन शब्दो को कहते हुए बडा कष्ट अनुभव हो रहा है कि प्रस्ताव को उपस्थित करते समय जो भावना उस के मूल मे नही थी, कुछ मेरे मित्रो ने इस प्रस्ताव पर भाषण करते हुये उन भावनाओ को दूसरे रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया । जहा तक उत्तर और दक्षिण का सम्बन्ध है इस प्रस्ताव से दोनो भागो में कोई मुटाव या अलगाव पैदा हो जायगा या तनाव की स्थिति आ कर पैदा हो जायगी, ऐसा मैं नही समझता हू । अगर इस प्रस्ताव को उपस्थित करने वाला कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति होता और वही व्यक्ति इस प्रस्ताव को उपस्थित करता कि लोक सभा का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होना चाहिये तो सम्भव है कि यह सोचा जा सकता कि उसने किसी स्वार्थवश उस को उपस्थित किया है । लेकिन मैंने एक उत्तर भारत का निवासी होते हुए इस प्रस्ताव को उपस्थित किया तो उसके मूल में फिर इस भावना को जन्म दिया गया कि यह उत्तर और दक्षिण का जो सवाल खडा किया गया है यह राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये है, इसके लिये तो मै यही कह सकता हूं कि जिनके मस्तिष्कों में इस प्रकार की भावनाएं है उन्होने इस तरह से इस चीज को रंग कर यहां पर रखने का प्रयत्न किया है लेकिन प्रस्ताव को उपस्थित करते समय मेरे दिमाग में कोई इस प्रकार की भावना नही थी ।

दूसरे एक सब से बडी बात जो यहां पर मेरे एक मित्र ने कही कि हम तो "वसुधैव कुटुम्बकम" को मानने वाले है और इतने बड़े देश मे कही पर भी हो उससे कोई अन्तर नही पडता तो फिर वह महानुभाव इस बात को क्यो भूल जाते है कि बगलोर और हैदराबाद भी तो उसी वसुधा के भाग हैं जिस पर कि दिल्ली स्थित है और इसलिए अगर वहां पर कर लिया जाय तो उससे क्या अन्तर पड़ेगा ।

एक यह भी इसके विरुद्ध तर्क दिया गया कि जिस समय अंग्रेजी शासनकाल में पालियामेंट का असेम्बली का सेशन शिमले मे होता तो उस समय सरकारी कर्मचारी बहुत थोड़े थे और उनको इधर उधर से शिफ्ट करने में कोई कठिनाई नही होती थी । अगर यह बात सही है तो इससे तो मेरी बात और भी पुष्ट हो जाती है कि फिर अगर लोक सभा का एक अधिवेशन साल से दक्षिण भारत में हैदराबाद या बगलौर मे किया जायगा तो फिर हमारी सरकार को इस बात का भी अभ्यस्त हो जाना चाहिए कि थोडे कर्मचारियों से भी काम चलाया जा सकता है और इतने बड़े स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी । इस बात का भी ज्ञान हमारी सरकार को होना चाहिये कि आज जो हमारे देश की

जनता सरकार से कुछ शिकायतें कर रही है उनमें एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि जिस समय हमारा देश बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी उसमें सम्मिलित था, उस समय हमारे मंत्रियों की संख्या भी थोड़ी थी और सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी थोड़ी थी लेकिन तो भी देश का शासन अच्छी प्रकार से चल रहा था। आज जब कि इतना बड़ा स्टाफ मिनिस्टरों का बढ़ गया है और सरकारी कर्मचारियों की संख्या इस कदर पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है तो ऐसी स्थिति में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारा शासन आज इस दिशा में कुछ सोचे कि थोड़े कर्मचारियों से भी कैसे काम चल सकता है और यह तभी सम्भव है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिवेशन को ले जायें और अनुभव करके देखें कि कम से कम आदमियों से किस प्रकार से अपने कार्य को चलाया जा सकता है।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि उधर के हमारे एक साथी ने यह भी कहा कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और चारों धाम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह चारों धाम किसी एक ही दिशा में हैं या चारों दिशाओं के अन्दर हैं। अगर भारत की एकता इस बात में निहित है तो हमें यह देखना होगा कि वह कहां कहां पर स्थित हैं। हमारे कुछ मित्रों ने यह कह कर कि इस तरह का प्रस्ताव लाना मुहम्मद तुगलक की भावना का परिचायक है जिसने कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का कार्य किया था, इसके लिये मेरा यह कहना है कि उन्होंने इस तरह की बात कह कर प्रस्तावक को थोड़ी हीनता की स्थिति में रखने का प्रयत्न किया है लेकिन पहली बात तो यह है कि मेरे मित्र इस प्रस्ताव पर विचार करते समय यह भूल गये कि यह प्रस्ताव ही नहीं है कि राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाय। राजधानी जो जहां की तहां बनी रहेगी लेकिन सदन का एक अधिवेशन, सबसे छोटा जो अधिवेशन सम्भव हो सकता है वह केवल उधर दक्षिण में कर लिया जाय।

इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव के विरुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह तर्क दिया गया कि दिल्ली सदा सदा से इस देश की राजधानी रहती आई है लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि अगर देखा जाय तो पता चल जायेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का इतिहास बहुत छोटा है। अगर हम अपने देश के पुराने इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि हमारे स्वाधीन भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र अंकित किया हुआ है वह सम्राट अशोक का चक्र है और यह ध्यान में रखना चाहिए कि सम्राट अशोक की राजधानी दिल्ली नहीं थी। महाभारत काल में भी भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि हस्तिनापुर थी। अगर हम पुराने इतिहास पर दृष्टि डालें तो पायेंगे कि दिल्ली का इतिहास तो मुगलिया शासनकाल से शुरू होता है लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए उनके इस तर्क को मान भी लिया जाय तो स्थिति यह है कि दिल्ली पहले देश के मध्य में स्थित थी, भारत उस समय रंगून तक फैला हुआ था लेकिन आज दिल्ली से १००–१५० मील पर दूसरे देशों की सीमाएं लगती हैं और आज की स्थिति में दिल्ली केवल एक कटिप्रदेश में है। मेरा निश्चित विचार है और मैं फिर संसदीय मामलों के मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव में निहित भावनाओं का आदर करते हुए वे इस सम्बन्ध में विचार करें। हां अगर इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने में कोई आर्थिक अथवा व्यवहारिक कठिनाइयां हों तो दूसरी बात है और उनके कारण वे उसे तत्काल रूप में कार्य रूप में परिणत न कर सकते हों तो आप इस प्रस्ताव के सिद्धान्त को स्वीकार कर लें और सिद्धान्त को स्वीकार करने के पश्चात् उसके लिए एक पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी निर्धारित कर दें जो कि सारी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करके

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

सदन के सामने सारी चीजें उपस्थित करे। लेकिन जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है मेरा पहले भी विश्वास था और अब भी है कि लोक सभा का साल में एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर में हुआ करे। इस बात को कहने के पश्चात् मैं अपने प्रस्ताव का फिर बलवती भाषा में समर्थन करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"This House is of opinion that one Session of Lok Sabha be held in South India at Hyderabad or Bangalore every year."

The motion was negatived.

16.51 hrs.

RESOLUTION *RE* RE-ORGANISATION OF COUNTRY'S ADMINISTRATION

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House calls upon the Government to appoint a high-powered Commission, consisting of public men, administrators and two judges of a High Court, to suggest ways and means for the re-organisation of the country's administration so that it could be helpful in achieving the goal of a Welfare State."

While I move this Resolution, I do not lend my support to all that ill-informed and irresponsible criticism that is levelled against our administration. One of the specimens of that criticism was given on the floor of this House only sometime back. There are some persons who think that our administrative apparatus has swollen beyond its just proportions. There are other persons who think that our administration has not given any visible proof of efficiency. There are some persons also who abuse our administration for all kinds of evil things: corruption, nepotism and all that kind of thing.

It is natural that in a big country like ours, there should be a very big apparatus of administration and also that it should meet the public at countless points and also that it should sometimes come into conflict with the people's desires, wishes and hopes. All that is possible. Therefore, it is no wonder that people have sometimes to speak very uncharitably about our administration and administrators. But I would urge that it is not a phenomenon peculiar to our country. I wonder if there is any country in the world where the administrator is put on a high pedestal. I do not know of any administration in any part of the world about which hard things are not said I think that our politicians have one thing in common with the administrators and it is this that we both always run the risk of being misunderstood. We always run the risk of being abused and of being sometimes placed in a very unfavourable light.

Therefore, when I move this resolution it should not be thought that I am doing so because I am carried off by all those things which are said about our administration. I do so because I know that every country must have an administration suited to its own genius, to its own conditions, to its own ideals and objectives. Our misfortune or good fortune is this, that we inherited an administration from the British. That administrative machinery was good in some ways, there is no doubt about it; but, that machinery was meant for a particular objective. The British looked upon India from one angle and we are now looking on India from a different angle. They had a State which was more or less a kind of a colonial State and we are now having a State which is a welfare State. There is a word